मंथली पॉलिसी रिव्यू

दिसंबर 2020

इस अंक की झलकियां

देशव्यापी लॉकडाउन 31 जनवरी, 2021 तक बढ़ाया गया, कोई बदलाव नहीं (पेज 2)

लॉकडाउन को 11वीं बार बढ़ाया गया है और मौजूदा प्रोटोकॉल्स ही चालू रहेंगे। सर्विलांस और कंटेनमेंट पर जोर दिया जाएगा ताकि कोविड-19 के नए मामलों में कमी आए।

कोविड-19 वैक्सीन के लिए प्रक्रियागत दिशानिर्देश जारी (पेज 2)

दिशानिर्देशों में वरीयता प्राप्त समूहों, जैसे स्वास्थ्यकर्मी और फ्रंटलाइन वर्कर्स, तथा 50 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को चिन्हित करना शामिल है। इसमें प्रशिक्षण और सुरक्षा संबंधी सावधानियां निर्दिष्ट की गई हैं, प्रगति की निगरानी करने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म और सर्विलांस सिस्टम्स की स्थापना की गई है।

स्टैंडिंग कमिटी ने कोविड-19 के प्रबंधन पर अपनी रिपोर्ट सौंपी (पेज 6)

सुझावों में निम्नलिखित शामिल हैं: (i) भविष्य के संकट से निपटने के लिए राष्ट्रीय योजना बनाना, (ii) सार्वजनिक स्वास्थ्य संरचना तैयार करना, और (iii) वन नेशन-वन राशन कार्ड लागू होने तक राशन की इंटरस्टेट ऑपरेबिलिटी सुनिश्चित करना।

आरबीआई ने लिक्विडिटी सपोर्ट के लिए अतिरिक्त उपायों की घोषणा की (पेज 4)

ऑन-टैप टीएलटीआरओ (टार्गेटेड लॉन्ग टर्म रेपो) योजना का दायरा बढ़ाया गया है ताकि कोविड के कारण तनावग्रस्त 26 क्षेत्रों को उसमें शामिल किया जा सके। बैंकों द्वारा 2019-20 के लाभांश की घोषणा पर रोक लगाने के अस्थायी फैसले (अप्रैल में लिया गया फैसला) को अंतिम रूप दिया गया।

केंद्रीय कैबिनेट ने आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना को मंजूरी दी (पेज 5)

केंद्र सरकार दो वर्ष के लिए नए कर्मचारियों का पीएफ अंशदान (नियोक्ता और कर्मचारी, दोनों के लिए) चुकाएगी। 1,000 से अधिक कर्मचारियों वाले इस्टैबलिशमेंट्स के लिए सिर्फ कर्मचारी का अंशदान चुकाया जाएगा।

सार्स-कोवि-2 के नए वेरिएंट के सर्विलांस के लिए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जारी (पेज 4)

पिछले साल 25 नवंबर से 23 दिसंबर के दौरान युनाइटेड किंगडम से आने वाले सभी यात्रियों को निगरानी में रखा गया है। 21-23 दिसंबर, 2020 के बीच आने वाले यात्रियों का आरटी-पीसीआर टेस्ट कराना होगा।

राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण-5 के पहले दौर की रिपोर्ट जारी (पेज 12)

सर्वेक्षण के पहले दौर में 17 राज्यों में जनसंख्या, बाल स्वास्थ्य एवं पोषण से संबंधित संकेतकों को शामिल किया गया। निष्कर्ष इस प्रकार हैं: (i) अधिकतर राज्यों ने प्रजनन दर का लक्ष्य हासिल किया, (ii) अनेक राज्यों में बच्चों में कुपोषण बढ़ा।

अध्यादेश के जरिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली कानून एक्ट में संशोधन (पेज 15)

2011 के एक्ट की वैधता को 31 दिसंबर, 2023 तक बढ़ाया गया। अनाधिकृत कालोनियां (i) जो 1 जून, 2014 को मौजूद थीं, और (ii) जिनका 1 जनवरी, 2015 तक 50% विकास हो गया था, नियमितीकरण के लिए पात्र होंगी।

नॉन-पर्सनल डेटा संबंधी एक्सपर्ट कमिटी की रिपोर्ट पर टिप्पणियां आमंत्रित (पेज 19)

नॉन-पर्सनल डेटा गवर्नेंस फ्रेमवर्क की रिपोर्ट के संशोधित ड्राफ्ट में नॉन-पर्सनल डेटा के हाई-वैल्यू डेटासेट्स को परिभाषित किया गया है। यह सार्वजनिक हित के उद्देश्य से इन हाई वैल्यू डेटासेट्स की अनिवार्य शेयरिंग का प्रावधान करता है।

PRS Legislative Research ■ Institute for Policy Research Studies
3rd Floor, Gandharva Mahavidyalaya ■ 212, Deen Dayal Upadhyaya Marg ■ New Delhi – 110002
Tel: (011) 43434035, 23234801 ■ www.prsindia.org

पब्लिक वाई-फाई नेटवर्क्स के जरिए ब्रॉडबैंड के प्रसार के लिए नया फ्रेमवर्क (पेज 21)

प्रधानमंत्री वाई-फाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस (पीएम-वाणी) नामक नए फ्रेमवर्क से स्थानीय दुकानें और छोटे इस्टैबलिशमेंट्स लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन या फीस के बिना पब्लिक वाई-फाई एक्सेस प्वाइंट लगा सकेंगे।

ड्राफ्ट भारतीय बंदरगाह बिल, 2020 सार्वजनिक टिप्पणियों के लिए जारी (पेज 17)

ड्राफ्ट बिल में बंदरगाहों के रेगुलेशन के लिए मैरीटाइम पोर्ट रेगुलेटरी अथॉरिटी और राज्य स्तरीय मैरीटाइम बोर्ड्स की स्थापना का प्रस्ताव है। इसमें विवाद निवारण तंत्र, सुरक्षा मानक और वेस्ट मैनेजमेंट प्रणाली भी प्रस्तावित की गई है।

ड्राफ्ट राष्ट्रीय रेलवे योजना पर टिप्पणियां आमंत्रित (पेज 16)

2021-2051 की अवधि के लिए रेलवे अवसंरचना में वृद्धि के लिए 38 लाख करोड़ मूल्य वाली परियोजनाओं का प्रस्ताव रखा गया है। इनमें तीन नए डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स और कई हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर्स शामिल हैं।

कोविड-19

31 दिसंबर, 2020 तक भारत में कोविड-19 के 1,02,66,674 पुष्ट मामले थे।[1] इनमें से 98,60,280 मरीजों का इलाज हो चुका है/उन्हें डिस्चार्ज किया जा चुका है और 1,48,738 की मृत्यु हुई है।[1] देश और विभिन्न राज्यों में दैनिक मामलों की संख्या के लिए कृपया यहां देखें।

केंद्र सरकार ने महामारी की रोकथाम के लिए अनेक नीतिगत फैसलों और इससे प्रभावित नागरिकों और व्यवसायों को मदद देने हेतु वित्तीय उपायों की घोषणा की है। केंद्र और राज्यों द्वारा जारी मुख्य अधिसूचनाओं के विवरण के लिए कृपया यहां देखें। दिसंबर 2020 में इस संबंध में मुख्य घोषणाएं इस प्रकार हैं।

लॉकडाउन 31 जनवरी, 2021 तक बढ़ाया गया

Roshni Sinha (roshni@prsindia.org)

कोविड-19 को फैलने से रोकने के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अथॉरिटी (एनडीएमए) ने मार्च में 21 दिनों का देशव्यापी लॉकडाउन किया था।[2] इसके बाद लॉकडाउन को 11 बार बढ़ाया गया है जोकि इस बार 31 जनवरी, 2021 तक लागू है।[3] हाल के लॉकडाउन संबंधी दिशानिर्देशों में दिसंबर 2020 की एप्लिकेबिलिटी को एक महीने के लिए बढ़ाया गया है।[4] दिसंबर के दिशानिर्देशों में कोविड के बढ़ते मामलों की रोकथाम के लिए निर्दिष्ट कंटेनमेंट रणनीति, निगरानी और दिशानिर्देशों का सख्ती से पालन शामिल है।

दिसंबर 2020 के दिशानिर्देशों के सारांश के लिए कृपया यहां देखें।

कोविड-19 वैक्सीन की प्रक्रिया के लिए दिशानिर्देश जारी

Shruti Gupta (shruti@prsindia.org)

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने कोविड-19 वैक्सीन की प्रक्रिया के लिए दिशानिर्देश जारी किए हैं।[5] दिशानिर्देशों में कहा गया है कि कोविड-19 वायरस के लिए 274 से अधिक उम्मीदवार वैक्सीन विश्व स्तर पर विभिन्न चरणों में हैं। ये दिशानिर्देश उस तैयारी का हिस्सा हैं जोकि यह सुनिश्चित करेगी कि जब भी वैक्सीन उपलब्ध हो, उसे जल्दी से जल्दी इस्तेमाल किया जा सके। दिशानिर्देशों की मुख्य विशेषताओं में निम्नलिखित शामिल हैं:

- **वरीयता प्राप्त समूह:** वैक्सीन को चरणबद्ध तरीके से लगाया जाएगा। चरण 1 में स्वास्थ्यकर्मियों और फ्रंटलाइन वर्कर्स तथा 50 वर्ष से अधिक लोगों को वैक्सीन लगाई जाएगी। लोकसभा और राज्य विधानसभाओं की नई मतदाता सूची को आयु के आधार पर जनसंख्या को चिन्हित करने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा।
- **प्रशिक्षण:** दिशानिर्देशों में सुझाव दिया गया है कि वर्चुअल और फेस टू फेस ट्रेनिंग का इस्तेमाल करते हुए इनुमरेटर्स, हेल्थ फंक्शनरीज़ और कम्यूनिकेशन के ट्रेनर्स को प्रशिक्षित किया जाना चाहिए। इसमें कहा

गया है कि जिला और प्लानिंग यूनिट में सभी प्रकार के प्रशिक्षण के खत्म होने के बाद वैक्सीन को पेश किया जाएगा। कोल्ड चेन हैंडलर्स और वैक्सीनेटर्स को वैक्सीन की प्रक्रिया, लॉजिस्टिक मैनेजमेंट, संक्रमण की रोकथाम और नियंत्रण संबंधी सावधानियों के संबंध में प्रशिक्षित किया जाएगा।

- **सत्र**: वैक्सीनेशन प्रक्रिया चुनाव प्रक्रिया के समान हो सकती है जिसमें राज्य वैक्सीनेशन के लिए विशिष्ट दिन चिन्हित करेंगे। वैक्सीनेशन टीम में निम्नलिखित शामिल होंगे: (i) डॉक्टर, नर्स, फार्मासिस्ट सहित वैक्सीनेशन अधिकारी, और इंजेक्शन का प्रबंधन करने के लिए अधिकृत अन्य व्यक्ति, (ii) रजिस्ट्रेशन का स्टेटस चेक करने, इंट्री को रेगुलेट करने और पहचान संबंधी दस्तावेजों का सत्यापन करने वाले दो वैक्सीनेशन अधिकारी, और (iii) भीड़ का प्रबंधन करने और वैक्सीनेशन के बाद 30 मिनट इंतजार किया जाए, इस बात को सुनिश्चित करने के लिए दो वैक्सीनेशन अधिकारी।
- **ट्रैकिंग**: कोविड-19 वैक्सीन इंटेलिजेंस नेटवर्क (को-विन) प्रणाली जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए सूचीबद्ध लाभार्थियों को रियल टाइम आधार पर ट्रैक किया जाएगा। सेफ्टी प्रोफाइल्स को समझने के लिए मौजूदा सर्विलांस सिस्टम से टीकाकरण के बाद प्रतिकूल नतीजों पर नजर रखी जाएगा। तुरंत पता लगाने के लिए इसे को-विन प्रणाली में एकीकृत किया जाएगा।
- **सुरक्षा और प्रबंधन**: वैक्सीन की डिलिवरी प्रणाली में लीकेज न हो, यह सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त पुलिस बंदोबस्त किया जाना चाहिए। राज्यों को सुनिश्चित करना चाहिए कि एक पर्याप्त कोल्ड चेन स्टोरेज क्षमता मौजूद है।

भारतीय सार्स-कोवि-2 जेनॉमिक्स कंसोर्टियम की स्थापना का प्रस्ताव

Aditya Kumar (aditya@prsindia.org)

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने भारतीय सार्स-कोवि-2 (SARS-CoV-2) (INSACOG) जनोमिक्स कंसोर्टियम की स्थापना का प्रस्ताव रखा है। यह प्रस्ताव सार्स-कोवि-2 वायरस के नए वेरिएंट के मद्देनजर रखा गया है।[6] INSACOG देश में SARS-CoV-2 वायरस के जेनोमिक सीक्वेंसिंग को विस्तार देने के लिए जिम्मेदार होगा। जेनोमिक सीक्वेसिंग का अर्थ है, जेनेटिक्स का अध्ययन। वायरस की जेनोमिक सीक्वेसिंग से निम्नलिखित में मदद मिलेगी: (i) देश में वायरस के नए वेरिएंट की मौजूदा स्थिति को समझना, (ii) जेनोमिक वेरिएंट का शुरू में पता लगाने के लिए सर्विलांस मैकेनिज्म को स्थापित करना, और (iii) असामान्य घटनाओं में जेनोमिक वेरिएंट को निर्धारित करना (जैसे सुपर स्प्रेडिंग और उच्च मृत्यु दर)।

देश में जीनोम सीक्वेंसिंग को आसान बनाने के लिए दो स्तरीय संरचना का प्रस्ताव रखा गया है: (i) केंद्र, और (ii) क्षेत्रीय स्तर। केंद्रीय स्तर पर नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल में एक नोडल यूनिट बनाई जाएगी, जोकि राज्य/जिला स्तर की सर्विलांस यूनिट्स के साथ समन्वय स्थापित करेगी। क्षेत्रीय स्तर पर क्षेत्रीय जीनोम सीक्वेंसिंग लेबोरेट्रीज़ (आरजीएसएल) जीनोम सीक्वेंसिंग करेंगी।

देश में 10 आरजीएसएल के जरिए सीक्वेंसिंग की जाएगी। सीक्वेसिंग डेटा को नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोमेडिकल जिनोमिक्स, कल्याणी और इंस्टीट्यूट ऑफ जीनोमिक्स एंड इंटेग्रेटिव बायोलॉजी, दिल्ली स्थित नेशनल डेटाबेस में रखा जाएगा।

शुरुआत में, जीनोम सीक्वेसिंग के लिए निम्नलिखित को वरीयता दी जाएगी: (i) पिछले दो महीने के दौरान आरटी-पीसीआर पॉजिटिव सैंपल्स, और (ii) 23 नवंबर, 2020 से 22 दिसंबर, 2020 के दौरान आने वाले आरटी-

पीसीआर पॉजिटिव अंतरराष्ट्रीय यात्री। इसके अतिरिक्त 23 नवंबर, 2020 से 5% पॉजिटिव सैंपल्स की रैंडम सैंपलिंग को संबंधित आरजीएसएल में जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजा जाएगा। इसके अतिरिक्त प्रत्येक राज्य को रोजाना मिलने वाले 5% पॉजिटिव सैंपल्स को जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए आरजीएसएल में भेजना होगा।

25 नवंबर, 2020 से 23 दिसंबर, 2020 के दौरान युनाइटेड किंगडम से आने वाले सभी हवाई यात्रियों में 114 लोग पॉजिटिव (29 दिसंबर, 2020 तक) पाए गए और उनके सैंपल्स को जीनोम सीक्वेसिंग के लिए भेज दिया गया। युनाइटेड किंगडम में मिले जीनोम वेरियंट के लिए छह सैंपल पॉजिटिव पाए गए और दूसरे सैंपल्स की जीनोम सीक्वेंसिंग भी चालू है।[7]

सार्स-कोवि-2 के नए वेरिएंट के एपिडेमियोलॉजिकल सर्विलांस और रिस्पांस के लिए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जारी

Aditya Kumar (aditya@prsindia.org)

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने युनाइटेड किंगडम में मिले सार्स-कोवि-2 (SARS-CoV-2) वायरस के नए वेरिएंट के एपिडेमियोलॉजिकल सर्विलांस और रिस्पांस के लिए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स (सोप्स) जारी किए हैं।[8] सोप्स में सभी अंतरराष्ट्रीय यात्रियों, जो 25 नवंबर, 2020 से 23 दिसंबर, 2020 के दौरान युनाइटेड किंगडम से आए हैं या वहां से गुजरे हैं, की देश में प्वाइंट ऑफ इंट्री पर जरूरी कार्रवाई का प्रावधान है। सोप्स की मुख्य विशेषताओं में निम्नलिखित शामिल हैं:

- **इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स पर कार्रवाई**: 21-23 दिसंबर के दौरान युनाइटेड किंगडम से आने वाले सभी अंतरराष्ट्रीय यात्रियों को आरटी-पीसीआर टेस्ट करना होगा। पॉजिटिव पाए जाने वाले यात्रियों का स्पाइक जीन-बेस्ड आरटी-पीसीआर टेस्ट किया जाएगा। पॉजिटिव पाए जाने वाले यात्रियों को आइसोलेशन केंद्र में आइसोलेट किया जाएगा, और उनके सैंपल को जीनोम सीक्वेसिंग के लिए भेजा जाएगा।

  अगर जीनोम सीक्वेसिंग से सार्स-कोवि-2 वायरस के नए वेरिएंट का पता चलता है तो उस मरीज को अलग यूनिट में ही आइसोलेट रखा जाएगा। पॉजिटिव टेस्ट रिजल्ट के शुरुआती दिन से लेकर 14वें दिन मरीज का टेस्ट किया जाएगा। अगर पॉजिटिव टेस्ट रिजल्ट ही आता है तो फिर सैंपल लिया जा सकता है, जब तक कि 24 घंटे के अंतराल में दो बार टेस्ट नेगेटिव नहीं आ जाता।

- **ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन की जिम्मेदारी:** ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन को युनाइटेड किंगडम से भारत के सभी इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स पर आने वाली उड़ानों (25 नवंबर, 2020 से 23 दिसंबर, 2020) के विवरण राज्य सरकार/इंटिग्रेटेड डिजीज सर्विलांस प्रोग्राम (आईडीएसपी) से साझा करने होंगे।

- **आईडीएसपी का सर्विलांस**: 21-23 दिसंबर, 2020 के दौरान आरटी-पीसीआर पॉजिटिव अंतरराष्ट्रीय यात्रियों के सभी कॉन्टैक्ट्स को अलग आइसोलेशन यूनिट्स में क्वारंटाइन किया जाएगा और उनकी टेस्टिंग होगी (आरटी-पीसीआर टेस्ट और अगर पॉजिटिव पाए जाते हैं तो स्पाइक जीन-बेस्ड आरटी-पीसीआर)। आरटी-पीसीआर नेगेटिव यात्रियों को होम क्वारंटाइन की सलाह दी जानी चाहिए। जिला सर्विलांस अधिकारियों को सुनिश्चित करना चाहिए कि वे ऐसे यात्रियों के भारत आने की तारीख से 28 दिनों तक उनका फॉलोअप करें।

आरबीआई ने लिक्विडिटी सपोर्ट के लिए अतिरिक्त उपायों की घोषणा की

Madhunika Iyer (madhunika@prsindia.org)

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने कोविड-19 के कारण उत्पन्न हुए वित्तीय तनाव को कम करने के लिए अनेक उपायों की घोषणा की।[9] इन उपायों में निम्नलिखित शामिल हैं:

- **लिक्विडिटी संबंधी उपाय:** अक्टूबर 2020 में आरबीआई ने 31 मार्च, 2021 तक ऑन-टैप टीएलटीआरओ (टार्गेटेड लॉन्ग टर्म रीपर्चेज ऑपरेशंस) को शुरू करने की घोषणा की थी।[10] योजना के अंतर्गत बैंक तीन वर्ष की अवधि के लिए धनराशि उधार ले सकते हैं जिन्हें (i) बॉन्ड्स और अन्य वित्तीय उत्पादों में निवेश किया जा सकता है, या (ii) जिनसे विशिष्ट क्षेत्रों में काम करने वाली एंटिटीज़ को लोन दिया जा सकता है। इससे पूर्व योजना के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों में कृषि, कृषि अवसंरचना, एमएसएमई (सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम), और ड्रग्स, फार्मास्यूटिकल्स और स्वास्थ्य देखभाल शामिल थे।
- योजना में कोविड-19 संबंधी स्ट्रेस के समाधान के लिए गठित एक्सपर्ट कमिटी द्वारा चिन्हित 26 तनावग्रस्त (स्ट्रेस्ड) क्षेत्र शामिल हैं (जैसे रियल ऐस्टेट, निर्माण और हॉस्पिटैलिटी)।[11] कमिटी (चेयर: के.वी.कामत) का गठन आरबीआई ने अगस्त में किया था। इसका उद्देश्य कोविड-संबंधी स्ट्रेस के लिए रेज़ोल्यूशन फ्रेमवर्क हेतु सुझाव देना था।[12]
- **बैंक के लाभांश भुगतान पर रोक:** अप्रैल 2020 में आरबीआई ने घोषणा की थी कि बैंक वित्तीय वर्ष 2019-20 के लाभ से लाभांश की घोषणा नहीं कर सकते, जब तक कि आगे का मूल्यांकन नहीं किया जाता।[13] बैंक के पूंजी संरक्षण के लिए इस रोक को उपाय के तौर पर इस्तेमाल किया गया था। अब आरबीआई ने बैंकों को वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए लाभांश देने से रोकने के अपने फैसले को अंतिम रूप दे दिया है।

केंद्रीय कैबिनेट ने आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना को मंजूरी दी

Roshni Sinha (roshni@prsindia.org)

नवंबर 2020 में वित्त मंत्री ने रोजगार को बढ़ाने और विभिन्न क्षेत्रों को प्रोत्साहित करने के लिए उपायों की घोषणा की थी।[14] आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना इनमें से एक उपाय था जिसके अंतर्गत सरकार प्रॉविडेंट फंड अंशदान के लिए सबसिडी देगी। केंद्रीय कैबिनेट ने अब इस योजना को मंजूरी दे दी है।[15]

कर्मचारी प्रॉविडेंट फंड और विविध प्रावधान एक्ट, 1952 इस्टैबलिशमेंट्स के कर्मचारियों के लिए अंशदान आधारित प्रॉविडेंट फंड योजना का प्रावधान करता है। नई योजना के अनुसार, केंद्र सरकार दो वर्ष के लिए नए कर्मचारियों को कर्मचारी प्रॉविडेंट फंड (ईपीएफ) का अंशदान देगी। 1,000 से कम कर्मचारियों वाले इस्टैबलिशमेंट्स के लिए सरकार नियोक्ता एवं कर्मचारी, प्रत्येक के लिए 12% अंशदान को कवर करेगी। अन्य के लिए सरकार केवल कर्मचारी के ईपीएफ अंशदान को कवर करेगी। यह लाभ केवल उन नए कर्मचारियों को मिलेगा जो हर महीने 15,000 रुपए से कम कमाते हैं और जिन्होंने 1 अक्टूबर, 2020 से 30 जून, 2021 के दौरान इस्टैबलिशमेंट में काम करना शुरू किया है। नए कर्मचारी को निम्नलिखित के आधार पर परिभाषित किया गया है: (i) कर्मचारी, जोकि 1 अक्टूबर, 2020 से पहले कर्मचारी प्रॉविडेंट फंड संगठन (ईपीएफओ) के अंतर्गत रजिस्टर्ड किसी इस्टैबलिशमेंट में काम नहीं करते थे और 1 अक्टूबर, 2020 से पहले उनके पास यूनिवर्सल एकाउंट नंबर (यूएएन) या ईपीएफ मेंबर एकाउंट नंबर नहीं था, या (ii) यूएएन धारक कोई ईपीएफ सदस्य जिसने 1 मार्च, 2020 और 30 सितंबर, 2020 के दौरान नौकरी छोड़ दी थी और 30 सितंबर, 2020 तक ईपीएफ के दायरे में आने वाले किसी इस्टैबलिशमेंट में काम करना शुरू नहीं किया था। यूएएन एक यूनीक मेंबर नंबर है जो ईपीएफओ (1952 के एक्ट के अंतर्गत गठित) द्वारा आबंटित किया जाता है।

केंद्रीय कैबिनेट ने वर्तमान वित्तीय वर्ष के लिए योजना पर 1,584 करोड़ रुपए और पूरी योजना अवधि (2020-2023) हेतु 22,810 करोड़ रुपए के व्यय को मंजूरी दी है।

कोविड-19 के प्रबंधन पर स्टैंडिंग कमिटी ने रिपोर्ट सौंपी

Roshni Sinha (roshni@prsindia.org)

गृह मामलों से संबंधित स्टैंडिंग कमिटी ने कोविड-19 महामारी के प्रबंधन पर अपनी रिपोर्ट सौंपी।[16] कमिटी के मुख्य सुझावों में निम्नलिखित शामिल हैं:

- **तैयारी:** कमिटी ने कहा कि एकाएक लॉकडाउन करने से बहुत अधिक आर्थिक अवरोध हुआ। इससे प्रवासी मजदूरों में डर और चिंता पैदा हुई और बड़े पैमाने पर वे अपने गृह राज्य लौट गए। कमिटी ने भविष्य में ऐसे संकट को रोकने के लिए कुछ सुझाव दिए जैसे आपदा प्रबंधन एक्ट 2005 और महामारी रोग एक्ट, 1897 के अंतर्गत राष्ट्रीय योजना और दिशानिर्देश तैयार करना।
- **स्वास्थ्य क्षेत्र पर खर्चा**: कमिटी ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकारों ने कोविड-19 के उपचार और संबंधित सेवाओं पर काफी खर्च किया है। उसने कहा कि ऐसे आघात से निपटने के लिए देश में मजबूत स्वास्थ्य सेवा प्रणाली की जरूरत है। इसलिए उसने सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं में वृद्धि करने के लिए स्वास्थ्य संबंधी अवसंरचना में अधिक निवेश और सरकारी अस्पतालों के लिए अधिक वित्तीय आबंटन का सुझाव दिया।
- **वैक्सीन**: कमिटी ने सुझाव दिया कि वैक्सीन ट्रायल करते समय सभी अनिवार्य शर्तों का पालन किया जाना चाहिए और सभी चरणों के ट्रायल पूरे किए जाने चाहिए। कमिटी ने कहा कि इमरजेंसी इस्तेमाल के ऑथराइजेशन को रेयरेस्ट ऑफ रेयर मामलों में ही इस्तेमाल किया जाना चाहिए।
- **डेटा कलेक्शन**: कमिटी ने कहा कि टेस्ट रेट, रिकवरी और मृत्यु दर के पैटर्न को समझने के लिए एक अध्ययन किए जाने की जरूरत है। कमिटी ने यह सुझाव भी दिया कि रिसर्च कम्युनिटी के लिए प्रासंगिक डेटा को सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराया जाना चाहिए ताकि उन्हें कोविड-19 के प्रबंधन के लिए इनपुट्स और महामारी की रोकथाम के लिए रियल टाइम सॉल्यूशंस मिल सकें। लेकिन ऐसे खुलासे के साथ डेटा एनॉनिमाइजेशन के सिद्धांतों, सिक्योरिटी और प्राइवेसी कानूनों का पालन किया जाना चाहिए।
- **बुरा आचरण**: कमिटी ने इन खबरों का उल्लेख किया कि कुछ निजी अस्पताल उपचार के लिए बेड्स को बेच रहे हैं और कई दवाओं की ब्लैक-मार्केटिंग कर रहे हैं, उनकी ज्यादा कीमतें वसूल रहे हैं। उसने निजी अस्पतालों और दवाओं की ब्लैक-मार्केटिंग पर नजर रखने के लिए एक व्यापक राष्ट्रीय सार्वजनिक स्वास्थ्य कानून तथा सस्ती और प्रभावी रीपर्पज्ड दवाओं की उपलब्धता के लिए जागरूकता अभियान शुरू करने का सुझाव दिया।
- **सामाजिक प्रभाव:** गरीबों पर कोविड-19 के सामाजिक असर को कम करने के लिए कमिटी ने सुझाव दिया कि प्रवासी श्रमिकों का एक राष्ट्रीय डेटाबेस जल्द से जल्द शुरू किया जाए। इससे इन श्रमिकों को चिन्हित करने और उन्हें राशन एवं अन्य लाभ देने में मदद मिलेगी।
- **खाद्य वितरण**: कमिटी ने सुझाव दिया कि जब तक सभी राज्य वन नेशन, वन राशन कार्ड को लागू न करें, तब तक राशन कार्डों की इंटरस्टेट ऑपरेबिलिटी की अनुमति दी जानी चाहिए।
- **आर्थिक असर**: कमिटी ने कहा कि महामारी के दौरान एमएसएमईज़ पर बहुत बुरा असर पड़ा है। उसने गौर किया कि एमएसएमईज़ कोविड-19 के असर को झेल सकें, इसके लिए यह जरूरी है कि उन्हें सहारा देने के लिए कार्यशील पूंजी प्रदान की जाए।

रिपोर्ट पर पीआरएस सारांश के लिए कृपया देखें।

आईबीसी के अंतर्गत कॉरपोरेट इनसॉल्वेंसी प्रक्रिया निरस्त करने की अवधि बढ़ाई गई

Madhunika Iyer (madhunika@prsindia.org)

कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय ने इनसॉल्वेंसी और बैंकरप्सी संहिता (आईबीसी), 2016 के अंतर्गत कॉरपोरेट इनसॉल्वेंसी रेज़ोल्यूशन प्रक्रिया को निरस्त करने की अवधि तीन महीने के लिए बढ़ा दी है जोकि 25 दिसंबर, 2020 से शुरू होती है।[17] इस प्रक्रिया पर सितंबर, 2020 में तीन महीने के लिए रोक लगाई गई थी।[18] नई अधिसूचना में इस रोक को बढ़ाया गया है जिसके अंतर्गत 25 मार्च, 2020 से 24 मार्च, 2021 के बीच होने वाले किसी डीफॉल्ट के लिए इनसॉल्वेंसी की कोई प्रक्रिया शुरू नहीं की जा सकती।

इनसॉल्वेंसी और बैंकरप्सी संहिता (संशोधन) अध्यादेश, 2020 को जून 2020 में जारी किया गया था ताकि कोविड-19 के दौरान कॉरपोरेट देनदारों के खिलाफ इनसॉल्वेंसी रेज़ोल्यूशन की प्रक्रिया को शुरू करने से रोका जा सके।[19] इसमें कहा गया था कि 25 मार्च से 24 सितंबर, 2020 के बीच होने वाले डीफॉल्ट्स के लिए कॉरपोरेट देनदारों के खिलाफ इनसॉल्वेंसी की प्रक्रियाएं शुरू नहीं की जा सकतीं। अध्यादेश में सरकार को यह अनुमति दी गई थी कि वह इस रोक को छह महीने तक बढ़ा सकती है।

घरेलू नागरिक उड़ानों की क्षमता बढ़ाई गई

Aditya Kumar (aditya@prsindia.org)

नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने घरेलू नागरिक उड़ान संचालन की क्षमता को 70% से बढ़ाकर 80% कर दिया है।[20] घरेलू नागरिक उड़ान संचालन को मई 2020 में कुछ सीमाओं के साथ आंशिक रूप से बहाल किया गया था।[21]

युनाइटेड किंगडम से भारत की उड़ानों को अस्थायी रूप से रद्द किया गया

Aditya Kumar (aditya@prsindia.org)

नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने 7 जनवरी, 2021 तक युनाइटेड किंगडम से भारत आने और जाने वाली सभी उड़ानों को रद्द कर दिया है।[22,23] उड़ानों पर 22 दिसंबर, 2020 से रोक लगाई गई है। यह रोक डीजीसीए द्वारा विशेष रूप से मंजूर ऑल-कार्गो ऑपरेशंस और उड़ानों पर लागू नहीं है।

एयरलाइन्स को यह सुनिश्चित करना होगा कि युनाइडेट किंगडम से कोई यात्री भारत की किसी उड़ान पर न चढ़े, न ही भारत के भीतर किसी स्थान के लिए उड़ान भरे।[22]

युनाइटेड किंगडम से भारत आने वाले सभी यात्रियों को भारत के एयरपोर्ट पहुंचने पर आरटी-पीसीआर टेस्ट कराना होगा। कोविड-19 पॉजिटिव टेस्ट वाले यात्रियों को स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार क्वारंटाइन करना होगा। यात्री अपना चिकित्सा खर्चा खुद ही करेगा।[22]

पर्यावरण (संरक्षण) तीसरे संशोधन नियम, 2020 अधिसूचित

Aditya Kumar (aditya@prsindia.org)

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने पर्यावरण (संरक्षण) तीसरे संशोधन नियम, 2020 को अधिसूचित किया है जोकि पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 में संशोधन करते हैं।[24] 1986 के नियमों में यह निर्दिष्ट किया गया है कि सरकार अधिसूचना के जरिए किसी क्षेत्र में औद्योगिक स्थानों या औद्योगिक गतिविधियों पर प्रतिबंध लगा सकती है/उन्हें सीमित कर सकती है।[25] इन सीमाओं में निम्नलिखित शामिल हो सकता है: (i) औद्योगिक प्रदूषकों और उत्सर्जनों की सीमा तय करना (जैसे थर्मल पावर प्लांट्स से नाइट्रोजन ऑक्साइड एमिशन की सीमा तय करना, और (ii) मानव बसाहट से दूरी (मानव बसाहट के निकट कुछ दूर तक के क्षेत्रों में औद्योगिक गतिविधियों पर प्रतिबंध)।

संशोधनों में कोविड-19 महामारी के मद्देनजर ऐसी सीमाओं वाली अधिसूचनाओं की वैधता को

30 जून, 2021 तक बढ़ाया गया है जोकि वित्तीय वर्ष 2020-21 में खत्म हो रही थीं।

कोविड-19 पॉजिटिव एयरक्रू के एयरोमेडिकल डिस्पोजिशन के लिए निर्देश जारी

Aditya Kumar (aditya@prsindia.org)

नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने कोविड-19 पॉजिटिव एयरक्रू के एयरोमेडिकल डिस्पोजिशन के लिए निर्देश जारी किए।[26] एयरोमेडिकल डिस्पोजिशन उड़ान के लिए व्यक्तियों के मेडिकल मूल्यांकन को संदर्भित करता है। निर्देशों की मुख्य विशेषताओं में निम्नलिखित शामिल हैं:

- **लक्षणरहित क्रू:** लक्षणरहित क्रू से अपेक्षा की जाती है कि वे 10 दिनों तक घर पर आइसोलेशन में रहें। इस अवधि के बाद क्रू को एक अधिकृत मेडिकल अटेंडेंट अप्रतिबंधित उड़ान के लिए फिट घोषित कर सकता है।
- **हल्के लक्षण वाले क्रू**: हल्के लक्षण वाले क्रू होम आइसोलेशन में रहेंगे। आइसोलेशन की अवधि पूरी करने पर एयरक्रू को 10 दिन, बिना लक्षण के, और तीन दिन, बिना बुखार के रहने के बाद आइसोलेशन से हटाया जा सकता है। 14 दिनों तक के आइसोलेशन की अवधि वाले एयरक्रू को लक्षणरहित क्रू की तरह एयरोमेडिकल डिस्पोजिशन मिलेगा।
- 14 दिनों से अधिक के आइसोलेशन वाले क्रू की जांच डीजीसीए द्वारा की जाएगी। क्रू डीजीसीए द्वारा फिट घोषित करने के बाद उड़ान भर सकते हैं।
- **मध्यम/गंभीर लक्षण वाले क्रू**: मध्यम और गंभीर लक्षण वाले एयरक्रू क्लिनिकल रिकवरी के बाद भारतीय वायुसेना के बोर्डिंग सेंटर्स पर विशेष मेडिकल जांच कराएंगे। इन पायलट्स को उड़ान के लिए फिट माना जाएगा, अगर उनकी क्लिनिकल जांच और लैबोरेट्री जांच में किसी फंक्शनल कमी का खुलासा नहीं होता।

खेल प्रतियोगिताओ को संचालित करने के लिए सोप्स और दिशानिर्देश जारी

Anurag Vaishnav (anurag@prsindia.org)

युवा मामलों और खेल मंत्रालय ने कोविड-19 के माहौल में देश में खेल प्रतियोगिताएं आयोजित करने के लिए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स (सोप्स) और दिशानिर्देश जारी किए हैं।[27] सोप्स की मुख्य विशेषताओं में निम्नलिखित शामिल हैं:

- **केंद्रों का प्रबंध**: सभी वर्कआउट एरिया, खेल के मैदान, जिमनेजियम, वॉशरूम्स और स्पोर्टिंग एरेना के दूसरे कॉमन एरिया को संचालन से पहले सैनिटाइज किया जाना चाहिए। स्पोर्टिंग वैन्यू की मेडिकल यूनिट में आइसोलेशन की सुविधा होनी चाहिए। स्पोर्टिंग एरेना में ब्रेकआउट रूम्स या लाउंज की संख्या, जहां लोग इकट्ठे होते हैं, कम कर दी जानी चाहिए।
- **संस्थागत प्रबंध**: आयोजन समिति को हर खेल आयोजन के लिए कोविड टास्क फोर्स बनानी चाहिए। टास्क फोर्स इन दिशानिर्देशों को लागू करने और उनका निरीक्षण करने के लिए जिम्मेदार होगी। टास्क फोर्स स्पोर्ट्स पर्सनल की यात्रा को रेगुलेट और उनका निरीक्षण भी करेगी।
- **दर्शकों का प्रबंधन**: जहां तक व्यावहारिक हो, प्राकृतिक वायु संचालन को सुनिश्चित किया जाना चाहिए और छोटे बंद स्थानों के इस्तेमाल को हतोत्साहित किया जाना चाहिए। आउटडोर कार्यक्रमों के लिए स्टेडियम में अधिकतम 50% दर्शकों की अनुमति दी जाएगी। बंद स्थानों पर केंद्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा वातानुकूलित तापमान और आर्द्रता के निर्दिष्ट दिशानिर्देशों का पालन किया जाना चाहिए।
- **अन्य सुरक्षा उपाय**: खेल के मैदान में प्रवेश से पहले सभी स्पोर्ट्स पर्सनल की थर्मल स्क्रीनिंग होनी चाहिए। जोखिम की आशंका और आयोजन के स्तर के आधार पर आयोजक समिति एथलीट्स का आरटी-

पीसीआर टेस्ट करा सकती है। सिर्फ नेगेटिव रिपोर्ट वाले एथलीट्स को भाग लेने की अनुमति दी जाएगी। कंटेनमेंट जोन्स वाले एथलीट्स को प्रवेश नहीं दिया जाएगा।

मेडिकल गॉगल्स और ग्लव्स की निर्यात नीतियों में संशोधन

Madhunika Iyer (madhunika@prsindia.org)

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने मेडिकल गॉगल्स और ग्लव्स की निर्यात नीतियों में संशोधन किया है।[28] जनवरी 2020 में मेडिकल गॉगल्स और नाइट्राइल ग्लव्स के निर्यात पर प्रतिबंध लगाया गया था।[29] जुलाई 2020 में मेडिकल गॉगल्स की निर्यात नीति में संशोधन किया गया और हर महीने 20 लाख यूनिट्स तक के निर्यात की अनुमति दी गई।[30] अक्टूबर में नाइट्राइल ग्लव्स की निर्यात नीति को प्रतिबंधित से सीमित किया गया।[31] हाल की अधिसूचना में इन प्रतिबंधों को हटा दिया गया है और मेडिकल गॉगल्स और नाइट्राइल ग्लव्स को निर्यात योग्य घोषित कर दिया गया है।

समष्टि आर्थिक (मैक्रोइकोनॉमिक) विकास

Madhunika Iyer (madhunika@prsindia.org)

2020-21 की दूसरी तिमाही में चालू खाता घाटा जीडीपी के 2.4% पर

2019-20 की दूसरी तिमाही (जुलाई-सितंबर) में 7.6 बिलियन USD (जीडीपी का 1.1%) के घाटे की तुलना में 2020-21 में इसी अवधि में भारत के चालू खाता घाटा में 15.5 बिलियन USD का अधिशेष (जीडीपी का 2.4%) हुआ।[32] यह अधिशेष 2020-21 की पहली तिमाही (अप्रैल-जून) में दर्ज 19.2 बिलियन USD के अधिशेष से कम है। इसका कारण व्यापार घाटे (निर्यात की तुलना में आयात का बढ़ना) में वृद्धि है। 2020-21 की पहली तिमाही में व्यापार घाटा 10.8 बिलियन USD था जोकि दूसरी तिमाही में 14.8 बिलियन USD हो गया। 2020-21 की दूसरी तिमाही में व्यापार घाटा (14.8 बिलियन USD) 2019-20 की दूसरी तिमाही के व्यापार घाटे (39.7 बिलियन USD) से कम था।

पूंजी खाते में ऐसा लेनदेन शामिल होता है जोकि भारत में एंटिटीज़ की एसेट/देनदारी की स्थिति में बदलाव करता है। 2020-21 की दूसरी तिमाही में पूंजी खाते में शुद्ध प्रवाह (पूंजी के जाने के मुकाबले आना) 15.4 बिलियन USD था जोकि 2019-20 की दूसरी तिमाही (13.6 बिलियन USD) और 2020-21 की पहली तिमाही (1 बिलियन USD) की तुलना में अधिक था। ऐसा अधिक विदेशी निवेश के कारण हुआ।

2020-21 की दूसरी तिमाही में विदेशी मुद्रा भंडार 31.6 बिलियन USD बढ़ गया जोकि 2019-20 की दूसरी तिमाही में 5.1 बिलियन USD और 2020-21 की पहली तिमाही में 19.8 बिलियन USD की बढ़ोतरी से अधिक है।

कुल मिलाकर, 2020-21 की पहली छमाही (अप्रैल-सितंबर) में भारत ने 34.7 बिलियन USD के चालू खाता अधिशेष (जीडीपी का 3.1%) को दर्ज किया जबकि 2019-20 की पहली छमाही में 22.5 बिलियन USD (जीडीपी का 1.6%) का घाटा हुआ था। इसका मुख्य कारण 2019-20 की पहली छमाही में 86.4 बिलियन USD के घाटे की तुलना में 2020-21 की इसी अवधि में 25.6 बिलियन USD का अल्प व्यापार घाटा था। 2020-21 की पहली छमाही में विदेशी मुद्रा भंडार में 51.4 बिलियन USD की वृद्धि हुई जोकि 2019-20 की पहली छमाही में 19.1 बिलियन USD की बढ़ोतरी से काफी अधिक है।

तालिका 1:2020-21 की दूसरी तिमाही में भुगतान संतुलन (बिलियन USD)

	ति2 2019-20	ति1 2020-21	ति2 2020-21
चालू खाता	-7.6	19.2	15.5
पूंजी खाता	13.6	1.0	15.4
भूल चूक लेनी देनी	-0.9	-0.4	0.6
मुद्रा भंजार में परिवर्तन	5.1	19.8	31.6

Sources: Reserve Bank of India; PRS.

पॉलिसी रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट क्रमशः 4% और 3.35% पर अपरिवर्तनीय

मॉनिटरी पॉलिसी कमिटी (एमपीसी) ने द्विमासिक मौद्रिक नीतिगत वक्तव्य जारी किया।[33] पॉलिसी रेपो रेट (जिस दर पर आरबीआई बैंकों को ऋण देता है) 4% पर बरकरार है। एमपीसी के अन्य निर्णयों में निम्नलिखित शामिल हैं:

- रिवर्स रेपो रेट (जिस दर पर आरबीआई बैंकों से उधार लेता है) 3.35% पर अपरिवर्तनीय है।
- मार्जिनल स्टैंडिंग फेसिलिटी रेट (जिस दर पर बैंक अतिरिक्त धन उधार ले सकते हैं) और बैंक रेट (जिस दर पर आरबीआई बिल्स ऑफ एक्सचेंज को खरीदता है) 4.25% पर अपरिवर्तनीय है।
- एमपीसी ने आर्थिक वृद्धि को पुनर्जीवित करने, और मुद्रास्फीति को टार्गेट बैंड (2% से 6%) पर बरकरार रखने के लिए मौद्रिक नीति के समायोजन के रुख को बरकरार रखने का फैसला किया।

एमपीसी ने 2020-21 की तीसरी और चौथी तिमाही में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) मुद्रास्फीति के क्रमशः 6.8% और 5.8% रहने का अनुमान लगाया है। 2020-21 की पहली छमाही में मुद्रास्फीति 5.2% और 4.6% के बीच रहने का अनुमान है।

वित्त

Madhunika Iyer (madhunika@prsindia.org)

ओटीसी डेरेवेटिव्स का कारोबार करने वाली एंटिटीज़ के लिए ड्राफ्ट निर्देश जारी

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने ओटीसी डेरेवेटिव्स निर्देश, 2020 में ड्राफ्ट मार्केट मेकर्स को सार्वजनिक टिप्पणियों के लिए जारी किया है।[34] निर्देश बैंक और प्राइमरी डीलर्स जैसी उन एंटिटीज़ पर लागू होंगे जो ओवर द काउंटर (ओटीसी) डेरेवेटिव्स का कारोबार करते हैं। डेरेवेटिव्स वे प्रॉडक्ट्स होते हैं जिन पर भविष्य की किसी तारीख पर सौदा होता है और उनकी वैल्यू ब्याज दरों, विनिमय दर में बदलाव, या अंडरलाइंग सिक्योरिटी के अंतर्गत निकाली जाती है।[35] ओटीसी डेरेवेटिव्स ऐसा करार होते हैं जिन पर दो पक्षों के बीच सीधा सौदा होता है (स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार करने वालों के विपरीत)। डेरेवेटिव करार के लिए एक साथ बोली और प्रस्ताव देने वाली एंटिटी मार्केट मेकर होती है। मसौदा निर्देश को 2007 में जारी दिशानिर्देशों के स्थान पर लाया जा रहा है।[36] ड्राफ्ट निर्देशों में निम्नलिखित प्रावधान हैं:

- **प्रबंधन**: मार्केट मेकर के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और वरिष्ठ प्रबंधन को मार्केट मेकिंग से पहले जोखिम प्रबंधन और आंतरिक नियंत्रण नीतियां बनानी होंगी।
- **जरूरी कार्रवाई**: मार्केट मेकर को ओटीसी डेरेवेटिव प्रॉडक्ट को पेश करने के दौरान जरूरी कार्रवाई करनी होगी। इसमें प्रॉडक्ट के उद्देश्य, लक्षित ग्राहक और प्रॉडक्ट से ग्राहक को होने वाले मुख्य खतरों का आकलन शामिल हैं।
- **मूल्य निर्धारण और वैल्यूएशन**: डेरेवेटिव्स के मूल्य निर्धरण और आवर्ती वैल्यूएशन को डॉक्यूमेंट किया जाना चाहिए। अगर सेलर्स स्वतंत्र रूप से मूल्य निर्धारण न कर सकें, तो वे डेरेवेटिव्स की बिक्री नहीं कर सकते।
- **यूजर का कारोबारी आचरण**: डेरेवेटिव प्रॉडक्ट के सेलर को खरीदार का भी मूल्यांकन करना चाहिए। सेलर सिर्फ उसी प्रॉडक्ट को बेच सकता है जिसने खरीदार ने समझ लिया हो, और जो खरीदार की जरूरत के हिसाब से हो।

ड्राफ्ट फ्रेमवर्क पर 15 जनवरी, 2021 तक टिप्पणियां आमंत्रित हैं।[37]

आईएफएससीए ने बुलियन एक्सचेंज के रेगुलेशंस को अधिसूचित किया

अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र अथॉरिटी (आईएफएससीए) ने बुलियन एक्सचेंज रेगुलेशंस,

2020 को अधिसूचित किया।[38] रेगुलेशंस में अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र (आईएफएससीए) में बुलियन एक्सचेंज की मान्यता और बुलियन क्लियरिंग कॉरपोरेशंस के लिए एक रूपरेखा प्रदान की गई है। वित्त मंत्री ने 2020-21 बजट भाषण में आईएफएससीए में बुलियन एक्सचेंज स्थापित करने की योजना की घोषणा की थी।[39] बुलियन को सोने, चांदी और अन्य कीमती धातुओं को शामिल करने के लिए परिभाषित किया गया है। बुलियन एक्सचेंज बुलियन की खरीद और बिक्री, बुलियन पर डेरिवेटिव, और बुलियन डिपॉजिटरी रसीद के लिए अनुबंध कर सकते हैं। बुलियन डिपॉजिटरी रसीद एक एम्पैनल्ड वॉल्ट में जमा बुलियन की टाइटलिंग का दस्तावेज है। रेगुलेशंस की प्रमुख विशेषताओं में शामिल हैं:

- **मान्यता**: यदि आवेदक कुछ मानदंडों को पूरा करता है तो आवेदक को बुलियन एक्सचेंज या बुलियन क्लियरिंग कॉर्पोरेशन के रूप में मान्यता दी जा सकती है। इनमें शामिल हैं: (i) 30 मिलियन USD का शुद्ध मूल्य, (ii) अपेक्षित वित्तीय और कार्यात्मक विशेषज्ञता, और (iii) निदेशक फिट और उचित मानदंडों को पूरा करते हों।
- **बुलियन एक्सचेंज के कार्य**: बुलियन एक्सचेंज उपभोक्ताओं की सुरक्षा के लिए बुलियन कॉन्ट्रैक्ट को रेगुलेट करने और बिचौलियों (जैसे व्यापारिक सदस्य) के आचरण के लिए जिम्मेदार हैं। इसके अतिरिक्त हर एक्सचेंज को क्लियरिंग कॉर्पोरेशन की सेवाओं का लाभ उठाना चाहिए।
- **स्वामित्व**: भारतीय या विदेशी क्षेत्राधिकार में मौजूद कोई भी बुलियन एक्सचेंज या मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज, आईएफएससीए में एक बुलियन एक्सचेंज या क्लियरिंग कॉर्पोरेशन की सेवाएं प्रदान कर सकता है। पेड-अप शेयर पूंजी का 51% तक बुलियन या स्टॉक एक्सचेंज (चाहे भारतीय हो या विदेशी) के द्वारा रखा जा सकता है।
- **बाध्यताएं**: हर बुलियन एक्सचेंज को चूक के मामले में उपभोक्ताओं की क्षतिपूर्ति के लिए उपभोक्ता शिक्षा और सुरक्षा कोष स्थापित करना चाहिए। हर बुलियन क्लियरिंग कॉरपोरेशन को बुलियन एक्सचेंज में किए गए व्यापार के निपटान की गारंटी देने के लिए एक कोष स्थापित करना चाहिए।
- **बुलियन डिपॉजिटरी और वॉल्ट्स**: बुलियन डिपॉजिटरी बुलियन डिपॉजिटरी रसीदों के लेनदेन का रिकॉर्ड रखती है, जो वॉल्टों में जमा बुलियन की टाइटलिंग का दस्तावेज होता है। रेगुलेशंस इन एंटिटीज़ के कार्यों, कर्तव्यों और दायित्वों को स्पष्ट करते हैं।

आरबीआई ने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को अतिरिक्त लिक्विडिटी फेसिलिटी की अनुमति दी

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) अधिसूचित क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फेसिलिटी, मार्जिनल स्टैंडिंग फेसिलिटी और कॉल मनी मार्केट तक पहुंच को अनुमति देगा।[40] इन उपायों से लिक्विडिटी मैनेजमेंट में सुधार की उम्मीद है। अब तक ये सुविधाएं अधिसूचित कमर्शियल बैंकों, कुछ सहकारी बैंकों और प्राथमिक ऋणदाताओं को थी। कुछ मानदंडों (जैसे पर्याप्त पूंजी रखने) को पूरा करने वाले अधिसूचित क्षेत्रीय बैंक इन सुविधाओं को हासिल करने के पात्र होंगे।

लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फेसिलिटी (एलएएफ) एक विंडो होती है जिसके जरिए आरबीआई लिक्विडी प्रदान करता है (रेपो रेट पर) और लिक्विडिटी अब्जॉर्ब करता है (रिजर्व रेपो रेट पर)। मार्जिनल स्टैंडिंग फेसिलिटी (एमएसएफ) एक सुविधा होती है जहां बैंक एलएएफ के अंतर्गत निर्दिष्ट सीमा से अधिक लिक्विडिटी उधार ले सकते हैं। कॉल मनी मार्केट अनकोलेट्रल्ड, इंटरबैंक शॉर्ट टर्म लेंडिंग का मार्केट होता है।

आरबीआई ने एनबीएफसीज़ के लाभांश के वितरण पर ड्राफ्ट सर्कुलर जारी किया

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसीज़) के लाभांश वितरण पर ड्राफ्ट सर्कुलर जारी किया है।[41] सर्कुलर की मुख्य विशेषताओं में निम्नलिखित शामिल हैं:

- **पात्रता**: वित्तीय मानदंडों जैसे नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स (एनपीए) के लिए न्यूनतम सीमा की वैल्यू पर खरे उतरने वाले एनबीएफसीज़ लाभांश की घोषणा करने के योग्य हो सकते हैं। अलग अलग किस्म के एनबीएफसीज़ के लिए वित्तीय मानदंड अलग-अलग हैं। जैसे डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी (एनबीएफसी-डी) और सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट नॉन डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी (एसआई-एनडी-एनबीएफसी) के लिए निम्नलिखित जरूरी है: (i) कम से कम 15% का कैपिटल एडेक्वेसी रेशो और (ii) निरंतर तीन वर्ष के लिए 6% से कम का शुद्ध एनपीए जिसमें वह वर्ष भी शामिल होगा जिसके लिए लाभांश घोषित करने का प्रस्ताव है।
- एनबीएफसी लाभांश घोषित करने का पात्र हो सकता है, इसके बावजूद कि पूववर्ती दो वर्षों के दौरान उपरिलिखित मानदंड पूरे नहीं होते, अगर: (i) कैपिटल एडेक्वेसी की शर्त पूरी की जाती है, और (ii) उस वर्ष के लिए शुद्ध एनपीए 4% से कम है जिसके लिए लाभांश घोषित करना प्रस्तावित है।
- **देय लाभांश की राशि**: ड्राफ्ट सर्कुलर में अधिकतम लाभांश पे-आउट रेशो का प्रावधान है जोकि कैपिटल एडेक्वेसी और शुद्ध एनपीए के विभिन्न संयोजनों के लिए अनुमत होगा। उच्च कैपिटल एडेक्वेसी रेशो और निम्न शुद्ध एनपीए प्राप्त करने वाले एनबीएफसी को लाभांश (लाभांश पे-आउट रेशो) के रूप में अपने शुद्ध लाभ का एक बड़ा अनुपात घोषित करने की अनुमति होगी। अनुमेय पे-आउट रेशो 10% से 50% तक है।
- लाभांश पे-आउट रेशो पर लगे प्रतिबंध उन एनबीएफसीज़ पर लागू नहीं होते जिनका पब्लिक फंड्स तक एक्सेस नहीं या वे एक्सेस रखने का इरादा नहीं रखते या जो ग्राहकों से इंटरफेस नहीं करते (टाइप I एनबीएफसी)।[42]
- **एप्लिकेबिलिटी**: अगर अधिसूचित किया गया तो सर्कुलर वित्तीय वर्ष 2020-21 के बाद से लाभांश घोषित करने पर लागू होगा।

स्वास्थ्य

राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण-5 के पहले दौर की रिपोर्ट जारी

Anya Bharat Ram (anya@prsindia.org)

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (एनएफएचएस-5) के पांचवे दौर का पहला चरण पूरा किया।[43] पांच वर्ष पहले 2015-16 में एनएफएचएस का चौथा दौर संचालित किया गया था। एनएफएचएस में जनसंख्या, प्रजनन और बाल स्वास्थ्य, और पोषण इत्यादि से संबंधित मुख्य संकेतकों का आकलन किया जाता है। पहले चरण में 22 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों (17 राज्य और 5 केंद्र शासित प्रदेश) को शमिल किया गया है। सर्वेक्षण के मुख्य नतीजों में निम्नलिखित शामिल हैं:

- **प्रजनन दर:** प्रजनन का प्रतिस्थापन स्तर, जिस पर जनसंख्या का स्थायित्व हासिल किया जाता है (यानी जनसंख्या खुद को प्रतिस्थापित करती है) को 22 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में से 19 में हासिल कर लिया गया है। तीन राज्यों (बिहार, मणिपुर और मेघालय) में कुल प्रजनन दर (एक महिला अपने जीवन काल में औसत जितने बच्चों को जन्म देती है) प्रतिस्थापन स्तर से अधिक है।
- **लिंगानुपात**: लिंगानुपात का अर्थ है, जन्म लेने वाले प्रति 1,000 बालकों में बालिकाओं

की संख्या। यह तेलंगाना, हिमाचल प्रदेश, गोवा, दमन और दीव और दादरा नगर हवेली में 900 से कम है।

- शि**शु मृत्यु दर**: सभी राज्यों में शिशु मृत्यु दर में मामूली गिरावट हुई है। सबसे अधिक गिरावट जिन राज्यों में हुई है, उनमें से एक असम है, जहां आंकड़ा 48 (प्रति 1,000 जीवित शिशु) से गिरकर 32 हो गया है। बिहार में आईएमआर काफी अधिक है (प्रति 1,000 जीवित शिशुओं में 47 मौत)।
- **कुपोषण**: पांच वर्ष से कम आयु के बच्चों में पोषण की स्थिति बहुत खराब है। स्टंटिंग या दीर्घकालीन कुपोषण (यानी आयु के अनुपात में छोटा कद) 17 में से 11 राज्यों में बढ़ा है। 17 में से 13 राज्यों में गंभीर रूप से वेस्टेड बच्चों का अनुपात भी बढ़ा है। वेस्टिंग या अत्यधिक कुपोषण का अर्थ है, कद के अनुपात में कम वजन। स्टंटेड या वेस्टेड बच्चों के बीमार होने की अधिक आशंका होती है।
- **इंटरनेट का इस्तेमाल**: सभी राज्यों में इंटनेट का इस्तेमाल करने वाले पुरुषों का अनुपात, महिलाओं से अधिक है और तेलंगाना, गुजरात और आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों में यह अंतर 25% प्वाइंट से भी अधिक का है। आंध्र प्रदेश, बिहार और त्रिपुरा में 25% से भी कम महिलाओं ने इंटरनेट का इस्तेमाल किया है।

सर्वेक्षण पर चार्ट आधारित चर्चा के लिए कृपया देखें।

वायु प्रदूषण के स्वास्थ्य संबंधी तथा आर्थिक प्रभाव पर आईसीएमआर का पेपर जारी

Shruti Gupta (shruti@prsindia.org)

भारत के राज्य स्तरीय डिजीज बर्डन इनीशिएटिव ने एक पेपर प्रकाशित किया है जिसमें 2019 में वायु प्रदूषण के स्वास्थ्य संबंधी तथा आर्थिक प्रभावों पर चर्चा की गई है।[44] इस इनीशिएटिव को 2015 में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले 100 से अधिक संस्थानों ने संयुक्त रूप से शुरू किया था (इसमें भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद भी शामिल है)। पेपर के मुख्य निष्कर्षों में निम्नलिखित शामिल हैं:

- **मौतें**: भारत में 2019 में 17 लाख मौतों के लिए वायु प्रदूषण को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। यह 2019 में भारत में कुल मौतों का 18% है।
- **आर्थिक नुकसान**: समय पूर्व मौतों और बीमारियों के कारण कम उत्पादन से होने वाली आर्थिक हानि जीडीपी का 1.4% है जोकि 2.6 लाख करोड़ रुपए के बराबर है। राज्य जीडीपी के प्रतिशत के रूप में यह आर्थिक नुकसान उत्तरी राज्यों में अधिक हुआ। इनमें से सबसे अधिक उत्तर प्रदेश (जीएसडीपी का 2.2%) और बिहार (जीएसडीपी का 2%) में नुकसान हुआ।
- **मृत्यु दर में वृद्धि**: 1990 और 2019 के बीच वायु प्रदूषण से होने वाली मृत्यु दर में 115% की वृद्धि हुई।

भारी उद्योग

Anurag Vaishnav (anurag@prsindia.org)

स्टैंडिंग कमिटी ने ऑटोमोबाइल क्षेत्र में मंदी पर अपनी रिपोर्ट सौंपी

उद्योग संबंधी स्टैंडिंग कमिटी ने 'ऑटोमोबाइल क्षेत्र में मंदी- प्रभाव और बहाली के उपाय' पर अपनी रिपोर्ट सौंपी।[45] कमिटी ने इस क्षेत्र में 2019-20 में मंदी तथा क्षेत्र पर कोविड-19 महामारी के प्रभाव की पड़ताल की और क्षेत्र की बहाली हेतु उपायों का सुझाव दिया।

कमिटी ने गौर किया कि 2019-20 में इस क्षेत्र में मंदी आई है। बिक्री में गिरावट से मैन्यूफैक्चरर्स ने ऑटो कंपोनेंट्स और एंसिलरीज़ सहित सभी प्रकार के निर्माण को कम किया है। इससे ऑटो क्षेत्र में अनुमानित 3.45 लाख नौकरियों का नुकसान हुआ है। इसके अतिरिक्त

कोविड-19 महामारी के कारण देशव्यापी लॉकडाउन के बाद इस क्षेत्र में पूरी तरह शटडाउन हो गया। लॉकडाउन के दौरान हर दिन लगभग 2,300 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ।

तालिका 2: ऑटोमोबाइल की घरेलू बिक्री

वर्ग	अप्रैल-सितंबर 2019	2018 से परिवर्तन
यात्री वाहन	13,33,251	-23.6%
कमर्शियल वाहन	3,75,480	-23.0%
तिपहिया	3,30,696	-6.7%
दुपहिया	96,96,733	-16.2%
कुल	**1,17,36,976**	**-17.1%**

कमिटी ने क्षेत्र की बहाली के लिए निम्नलिखित सुझाव दिए:

- **जीएसटी दरों को युक्तिसंगत बनाना**: इंटरनल कंबशन इंजन (आईसीई) आधारित वाहनों (जिसमें पेट्रोल और डीजल इंजन आधारित सभी वाहन शामिल हैं) की जीएसटी दर सर्वाधिक यानी 28% है और इन पर 1% से 22% का अतिरिक्त मुआवजा सेस लगता है। कमिटी ने सुझाव दिया कि जीएसटी की 18% दर से कीमतों में कमी होगी और मांग बढ़ेगी। बिक्री बढ़ने से जीएसटी राजस्व में कमी की भरपाई होगी। इसके अतिरिक्त कमिटी ने सुझाव दिया कि यूजर्ड कारों पर जीएसटी दरों को मौजूदा 12% या 18% (कारों के प्रकार पर निर्भर) से घटाकर 4% किया जाना चाहिए।
- **राहत पैकेज**: कमिटी ने कहा कि सरकार के राहत पैकेज से ऑटोमोबाइल क्षेत्र की समस्याएं पूरी तरह से दूर नहीं हुईं क्योंकि पैकेज का लक्ष्य सिर्फ अर्थव्यवस्था के आपूर्ति पक्ष को बढ़ावा देना था। उसने सुझाव दिया कि सरकार को क्षेत्र में मांग को बढ़ावा के लिए प्रोत्साहन पैकेज की घोषणा करनी चाहिए।
- **अन्य उपाय**: कमिटी ने निम्नलिखित सुझाव दिए: (i) ऑटो क्षेत्र की कंपनियों ने लॉकडाउन के दौरान अस्थायी और कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने वाले श्रमिकों को जो भुगतान किया है, उस व्यय को कॉरपोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी (सीएसआर) व्यय का पात्र बनाया जाए, (ii) सरकारी एजेंसियों की टेस्टिंग और मंजूरी के स्थान पर मैन्यूफैक्चरर्स को रेगुलेटरी शर्तों के लिए सेल्फ सर्टिफिकेशन की अनुमति दी जाए

रिपोर्ट पर पीआरएस सारांश के लिए कृपया देखें।

खेल

Shruti Gupta (shruti@prsindia.org)

स्टैंडिंग कमिटी ने ओलंपिक गेम्स 2021 की तैयारियों पर अपनी रिपोर्ट सौंपी

शिक्षा, महिला, बच्चे, युवा एवं खेलों से संबंधित स्टैंडिंग कमिटी ने ओलंपिक गेम्स 2021 की तैयारी पर अपनी रिपोर्ट सौंपी।[46] कमिटी के मुख्य निष्कर्षों और सुझावों में निम्नलिखित शामिल हैं:

- **कोच की कमी को पूरा करना**: कमिटी ने कहा कि कोच के पदों के लिए 561 रिक्तियां हैं। उसने सुझाव दिया कि समय रहते इन पदों को भरा जाए।
- **प्रशिक्षण:** हेड कोच को क्वालिफाइड एथलीट्स के लिए 200 दिनों का कस्टमाइज्ड प्लान बनाना चाहिए। प्लान कार्डियोपलमरी फंक्शन टेस्ट और मनोवैज्ञानिक, मानसिक एवं पोषण संबंधी मूल्यांकनों पर आधारित होना चाहिए।
- **स्पोर्ट्स एक्विपमेंट की खरीद:** कमिटी ने चीफ प्रोक्योरमेंट ऑफिसर को नियुक्त करने का सुझाव दिया जिससे एक्विपमेंट की खरीद में समन्वय हो और यह खरीद जल्द से जल्द हो।
- **वित्तीय सहयोग**: कमिटी ने सुझाव दिया कि खिलाड़ियों को वित्तीय सहयोग देने के लिए निम्नलिखित उपाय किए जा सकते हैं: (i) राष्ट्रीय स्तर पर अच्छा प्रदर्शन करने वाले प्रत्येक एथलीट के लिए न्यूनतम नियत वित्तीय सहायता की गारंटी, (ii) करियर के

दौरान और उसके बाद भी योगदान के आधार पर खिलाड़ियों और कोचेज़ के लिए वित्तीय सहायता सुनिश्चित करने की एक व्यवस्था तैयार करना, और (iii) सभी ओलंपियंस के लिए जीवन और स्वास्थ्य बीमा को कवर करना। इसके अतिरिक्त कमिटी ने सुझाव दिया कि सरकारी नौकरियों में मेडल जीतने वाले सभी एथलीट्स के लिए 3% स्पोर्ट्स कोटा रिजर्वेशन का प्रावधान किया जाए।

- **फंडिंग**: कमिटी ने सुझाव दिया कि ओलंपिक गेम्स की कॉरपोरेट स्पॉन्सरशिप देने के लिए भारतीय ओलंपिक संघ को एक स्पॉन्सरशिप मैनेजमेंट कंपनी से करार करना चाहिए।
- **निवेश**: कमिटी ने सुझाव दिया कि राज्य सरकारों को अपनी औद्योगिक नीतियों में खेल को 'उद्योग' के रूप में मान्यता देनी चाहिए ताकि क्षेत्र में निवेश को बढ़ाया जा सके। उसने यह सुझाव भी दिया कि खेलों में कॉरपोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी (सीएसआर) योगदान को बढ़ाने के उपाय किए जाएं जो फिलहाल सभी सीएसआर फंड्स का सिर्फ करीब 2% है।

रिपोर्ट पर पीआरएस सारांश के लिए कृपया देखें।

शहरी मामले

Aditya Kumar (aditya@prsindia.org)

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली कानून एक्ट में संशोधन

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली कानून (विशेष प्रावधान) दूसरा (संशोधन) अध्यादेश, 2020 को 30 दिसंबर, 2020 को जारी किया गया।[47] अध्यादेश राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली कानून (विशेष प्रावधान) दूसरा एक्ट, 2011 में संशोधन करता है।[48]

2011 के एक्ट में निम्नलिखित प्रावधान हैं: (i) दिल्ली शेल्टर इंप्रूवमेंट बोर्ड एक्ट, 2011 और दिल्ली मास्टर प्लान, 2021 के प्रावधानों के अनुसार स्लम निवासियों और झुग्गी-झोपड़ी क्लस्टर्स को स्थानांतरित करना, (ii) अनाधिकृत कालोनियों, ग्रामीण आबादी क्षेत्रों (और उनके विस्तार) को नियमित करना, (iii) अनुमत भवन निर्माण की सीमाओं को तोड़कर बने फार्म हाउस और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के दूसरे सभी क्षेत्रों के लिए नीति या योजना बनाना, और (iv) दिल्ली के मास्टर प्लान के अंतर्गत किसी निर्माण की तोड़फोड़ या सीलिंग की स्थिति में कोई दंडात्मक कार्रवाई न करना और लोगों को कम से कम तकलीफ देना। दिल्ली मास्ट प्लान 2021 को केंद्र सरकार ने 7 फरवरी, 2007 में अधिसूचित किया था। इसमें शहरी निर्धन वर्ग के लिए आवास की रणनीति दी गई है, साथ ही अनौपचारिक क्षेत्र से जुड़े मसलों का समाधान भी दिया गया है।

2011 का एक्ट 31 दिसंबर, 2020 तक वैध था। अध्यादेश ने इस समय सीमा को 31 दिसंबर, 2023 कर दिया है।

2011 के एक्ट में अनाधिकृत कालोनियों के नियमितीकरण का प्रावधान है, (i) जोकि 31 मार्च, 2002 को मौजूद थीं, और (ii) जहां 1 जून, 2014 तक निर्माण हुआ था। अध्यादेश में इसमें संशोधन किया गया है और कहा गया है कि अनाधिकृत कालोनियों को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली (अनाधिकृत कालोनियों के निवासियों के संपत्ति के अधिकार को मान्यता) एक्ट, 2019 और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली (अनाधिकृत कालोनियों के निवासियों के संपत्ति के अधिकार को मान्यता) रेगुलेशंस, 2019 के अनुसार चिन्हित किया जाएगा। इस प्रकार अनाधिकृत कालोनियां जोकि: (i) 1 जून, 2014 को मौजूद थीं, और (ii) 1 जनवरी, 2015 तक 50% विकसित हो गई थीं, वे नियमितीकरण के लिए पात्र होंगी।[49]

रिपोर्ट पर पीआरएस सारांश के लिए कृपया देखें।

परिवहन

मेट्रो रेलवे सामान्य नियम अधिसूचित

Shruti Gupta (shruti@prsindia.org)

आवासन और शहरी मामलों के मंत्रालय ने मेट्रो रेलवे (संचालन और रखरखाव) एक्ट, 2002 के तहत मेट्रो रेलवे सामान्य नियम, 2020 को अधिसूचित किया।[50] नियम मेट्रो रेलवे सामान्य नियम, 2013 की जगह लेते हैं।[51] 2020 के नियम कोलकाता मेट्रो (जो कि रेल मंत्रालय के दायरे में आती है) को छोड़कर भारत में सभी मेट्रो रेलवे के संचालन और रखरखाव को रेगुलेट करने का प्रयास करते हैं। 2020 नियमों की प्रमुख विशेषताओं में शामिल हैं:

- **कर्मचारी**: नियम मेट्रो प्राधिकरणों में काम करने वाले व्यक्तियों और इसके भीतर सेवाओं का प्रबंधन करने के लिए अधिकृत लोगों के लिए आचरण और विशिष्ट कर्तव्यों पर निर्देश प्रदान करते हैं। नियमों के अंतर्गत रेगुलेटेड कर्मचारियों में स्टेशन कंट्रोलर, प्लेटफॉर्म सुपरवाइजर और बुकिंग कार्यालय कर्मचारी शामिल हैं। नियम ट्रेन ऑपरेटरों और अन्य प्रमुख कर्मियों के लिए योग्यता भी निर्दिष्ट करते हैं। उदाहरण के लिए, ड्राइवर के पास योग्यता और मेडिकल फिटनेस का प्रमाण पत्र होना चाहिए।
- **सुरक्षा**: नियमों में उन प्रोटोकॉल्स को निर्दिष्ट किया गया है जिनका पालन सुरक्षा संबंधी समस्यों जैसे विजिबिलिटी कम होने और गति सीमा को हल करने के लिए किया जाना चाहिए। स्टेशनों में आपातकालीन निकास होना चाहिए। असामान्य घटनाओं, यांत्रिक विफलताओं और बाढ़ के मामलों में पालन किए जाने वाले प्रोटोकॉल भी नियमों में निर्धारित किए गए हैं। उदाहरण के लिए, बाढ़ की स्थिति में, पटरियों पर पानी के जमाव की सूचना ट्रैफिक कंट्रोलर देनी चाहिए। ट्रैफिक कंट्रोलर को सभी ट्रेन ऑपरेटर्स को यह निर्देश और सूचना देनी चाहिए कि क्या उन्हें उस इलाके में गुजरते समय ट्रेन की गति को कम करना चाहिए।
- **भीड़ का प्रबंधन**: स्टेशन कंट्रोलर तय कर सकता है कि यात्रियों की भीड़ कब अनियंत्रित हो जाती है। यात्रियों की भीड़ को निम्नलिखित के जरिए कम किया जा सकता है: (i) चेतावनी की घोषणा करना और इनवर्ड एसकेलेटर्स को रोकना, (ii) कुछ इनवर्ड ऑटोमैटिक फेयर कलेक्शन बैरियर्स को स्विच आउट करना, (iii) टिकट बिक्री कर्मचारियों को टिकट बेचने से रोकने का निर्देश देना, और (iv) नए यात्रियों के लिए स्टेशन प्रवेश द्वार को बंद करना।
- **आपातकालीन निकासी**: स्टेशन कंट्रोलर ट्रेन सेवाओं के रुकने या किसी अन्य आपातकाल में निकासी को नियंत्रित कर सकते हैं। इस तरह की स्थिति में: (i) सभी इनवर्ड ऑटोमैटिक फेयर कलेक्शन बैरियर्स को बाहर निकलने की दिशा के लिए सेट किया जाएगा, (ii) पब्लिक एड्रेस सिस्टम के जरिए इसकी सूचना दी जाएगी (iii) इनवर्ट एस्केलेटर को बाहर निकलने के लिए उपयोग किया जा सकता है, और (iv) टिकट की बिक्री को रोक दिया जाएगा।
- नियमों के अंतर्गत हर स्टेशन को स्टेशन वर्किंग ऑर्डर दिए जाएंगे जिसमें निम्नलिखित निर्दिष्ट होगा: (i) उपकरणों के स्थान और उपयोग के लिए दिशानिर्देश, (ii) आपातकालीन निकासी मार्ग, (iii) पुलिस, अग्नि और एंबुलेंस वाहनों के लिए निश्चित प्रवेश द्वार, और (iv) स्थानीय रूप से उपलब्ध मेडिकल सुविधाओं की सूची।

ड्राफ्ट राष्ट्रीय रेलवे योजना पर टिप्पणियां आमंत्रित

Saket Surya (saket@prsindia.org)

रेलवे मंत्रालय ने ड्राफ्ट राष्ट्रीय रेल योजना पर टिप्पणियों को आमंत्रित किया है।[52,53,54] योजना 2050 तक मांग में बढ़ोतरी के लिए रेलवे की

संरचनात्मक क्षमता में सुधार का प्रयास करती है। इसका उद्देश्य 2030 तक फ्रेट में रेलवे की मोडल हिस्सेदारी को 27% से बढ़ाकर 45% करना है। योजना के अंतर्गत परियोजनाओं की लागत लगभग 38 लाख करोड़ रुपए होगी (देखें तालिका 3)।

इन परियोजनाओं पर 2021 से 2051 के बीच कार्य किया जाएगा।[53] योजना में 2030 तक पूंजीगत निवेश में शुरुआती बढ़ोतरी की परिकल्पना की गई है। 2030 के बाद उम्मीद की जा रही है कि राजस्व अधिशेष से भविष्य के पूंजीगत निवेश को वित्त पोषित किया जा सकेगा और सरकारी वित्त पोषण की जरूरत नहीं पड़ेगी।

तालिका 3: राष्ट्रीय रेल योजना की लागत (लाख करोड़ रुपए में)

मद	2021-26	2026-31	2031-41	2041-51	कुल
डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स	-	1.5	0.5	0.3	2.3
हाई स्पीड रेल कॉरिडोर्स	-	5.1	2.9	7.0	15.0
नेचटवर्क में सुधार	1.3	0.7	2.2	1.8	6.0
फ्लाईओवर और बाईपास	0.8	-	-	-	0.8
टर्मिनल्स	0.6	0.2	0.1	0.04	0.9
रोलिंग स्टॉक	3.1	1.7	3.6	4.8	13.2
कुल	**5.8**	**9.2**	**9.3**	**13.9**	**38.2**

योजना के अंतर्गत मुख्य प्रस्ताव इस प्रकार हैं:

- **डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स:** 5,750 किलोमीटर की कुल लंबाई वाले तीन नए डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स बनाए जाएंगे: (i) पूर्वी तट (खड़गपुर-विजयवाड़ा), (ii) पूर्व-पश्चिम (पालघर-दनकुनी), और (iii) उत्तर-दक्षिण (पृथला- अराक्कोनम)।[53]
- **हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर्स**: 7,479 किलोमीटर की कुल लंबाई वाले कई हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर्स बनाए जाएंगे (तालिका 3)।
- **नेटवर्क में सुधार:** उच्च क्षमता उपयोग या उच्च यातायात मांग वाले विशिष्ट मार्गों पर रेल लाइनों की संख्या बढ़ाई जाएगी, जैसे दिल्ली-हावड़ा, मुंबई-चेन्नई और खड़गपुर-उधना। बंदरगाहों और औद्योगिक कॉरिडोर्स में कनेक्टिविटी को भी सुधारा जाएगा। 75,194 नेटवर्क किलोमीटर इन परियोजनाओं के दायरे में आएंगे।[53]

तालिका 4: प्रस्तावित हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर्स

चरण	कॉरिडोर्स
2031	दिल्ली-आयोध्या-वाराणसी, वाराणसी-पटना, पटना-कोलकाता, दिल्ली—उदयपुर-अहमदाबाद
2041	हैदराबाद-बेंगलुरू, नागपुर-वाराणसी
2051	मुंबई-नागपुर, मुंबई-हैदराबाद, पटना-गुवाहाटी, दिल्ली-चंडीगढ़-अमृतसर, अमृतसर-पठानकोट-जम्मू, चेन्नई-बेंगलुरू-मैसूरु

ड्राफ्ट योजना पर 22 जनवरी, 2021 तक टिप्पणियां आमंत्रित हैं।[54]

ड्राफ्ट भारतीय बंदरगाह बिल, 2020 को सार्वजनिक टिप्पणियों के लिए जारी किया गया

Shruti Gupta (shruti@prsindia.org)

बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय ने ड्राफ्ट भारतीय बंदरगाह बिल, 2020 को सार्वजनिक टिप्पणियों के लिए आमंत्रित किया।[55] ड्राफ्ट बिल भारतीय बंदरगाह एक्ट, 1908 को रद्द करने का प्रयास करता है।[56] यह बंदरगाहों के विकास तथा निवेश के जरिए सभी बंदरगाहों के प्रशासन और प्रबंधन को बेहतर करने का प्रयास करता है।[57] ड्राफ्ट बिल की मुख्य विशेषताओं में निम्नलिखित शामिल हैं:

- **मैरीटाइम पोर्ट रेगुलेटरी अथॉरिटी:** ड्राफ्ट बिल मैरीटाइम पोर्ट रेगुलेटरी अथॉरिटी की स्थापना का प्रस्ताव रखता है। अथॉरिटी में निम्नलिखित शामिल होंगे: (i) चेयरपर्सन, केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त दो पूर्णकालिक सदस्य (पांच वर्ष के कार्यकाल वाले) जिनमें से एक कानून के क्षेत्र से होगा, और (ii) तटीय राज्यों द्वारा रोटेशन से दो अंशकालिक सदस्य को नामित किया जाएगा। अथॉरिटी के कार्यों में निम्नलिखित शामिल हैं: (i) राष्ट्रीय बंदरगाह नीति बनाने पर केंद्र सरकार को सलाह देना, (ii) अल्पकालिक योजनाओं को बनाने और लागू करने में मदद करना,

(iii) बंदरगाहों का निरीक्षण और आकलन करना, (iv) जहाजों और बंदरगाह के एसेट्स की सुरक्षा और क्वालिटी के लिए मानकों को निर्दिष्ट करना, और (v) क्षेत्र में निवेश, तकनीकी तरक्की और वृद्धि को बढ़ावा देने के उपाय सुझाना।

- **राज्य मैरीटाइम बोर्ड:** हर राज्य सरकार को मुख्य बंदरगाहों (केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित) के अतिरिक्त दूसरे बंदरगाहों के लिए राज्य मैरीटाइम बोर्ड बनाना चाहिए। राज्य मैरीटाइम बोर्ड बंदरगाहों के विकास के और इंफ्रास्ट्रक्चर तथा सेवाओं के लाइसेंस की योजना को शुरू कर सकते हैं।
- **विवाद निवारण:** मुख्य बंदरगाहों के लिए अथॉरिटी के नामित सदस्यों वाली एक बेंच निम्नलिखित से संबंधित शिकायतों को प्राप्त कर सकती हैं और उन पर फैसला सुना सकती है: (i) गैर प्रतिस्पर्धात्मक कार्यपद्धति, (ii) प्रभावशाली पदों का दुरुपयोग, या (iii) बंदरगाह पर सेवा प्रदाताओं और टर्मिनल ऑपरेटर्स के बीच में विवाद। दूसरे सभी बंदरगाहों के लिए राज्य सरकार द्वारा गठित एडजुडिकेटिंग बोर्ड्स निम्नलिखित से संबंधित विवादों पर फैसला देंगे: (i) बंदरगाहों के अधिकार और बाध्यताएं, (ii) बंदरगाह के अधिकारी, प्रयोक्ता, सेवा प्रदाता और लाइसेंसी, और (iii) निजी ऑपरेटर।
- ड्राफ्ट बिल उन सुरक्षा संबंधी शर्तों को प्रस्तुत करता है जिनका सभी बंदरगाहों और जहाजों पर पालन किया जाएगा। उदाहरण के लिए हर बंदरगाह को अधिकारियों को नियुक्त करना होगा और योजनाएं बनानी होंगी जोकि केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित शर्तों के आधार पर सुरक्षा को सुनिश्चित करेगा। इसमें सभी बंदरगाहों और टर्मिनल्स के लिए कचरा और प्रदूषण प्रबंधन की सुविधा प्रदान करना अनिवार्य किया गया है।

राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा बोर्ड बनाने के लिए ड्राफ्ट नियम जारी

Shruti Gupta (shruti@prsindia.org)

सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने मोटर वाहन एक्ट, 1988 के अंतर्गत ड्राफ्ट राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा बोर्ड नियम, 2020 जारी किए हैं।[58,59] ड्राफ्ट नियम मोटर वाहन (संशोधन) एक्ट, 2019 में प्रस्तावित राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा बोर्ड की स्थापना करते हैं।[59] ड्राफ्ट नियमों की मुख्य विशेषताओं में निम्नलिखित शामिल हैं:

- **संयोजन:** ड्राफ्ट नियम प्रस्तावित करते हैं कि बोर्ड में निम्नलिखित शामिल होंगे: (i) चेयरपर्सन, (ii) केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त तीन से सात सदस्य, और (iii) सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के सचिव या उनका कोई प्रतिनिधि (पदेन सदस्य)। चेयरपर्सन या सदस्यों को ऑटोमोबाइल, सड़क सुरक्षा, शहरी योजना या कानून जैसे क्षेत्रों में कम से कम 20 वर्ष का अनुभव होना चाहिए।
- **कार्यकाल और बैठक**: चेयरपर्सन और सदस्यों का कार्यकाल तीन वर्ष होगा जिसे एक बार और बढ़ाया जा सकता है। महीने में कम से कम एक बार बोर्ड की मीटिंग होगी।
- **कार्य:** बोर्ड के कार्यों में निम्नलिखित शामिल हैं: (i) मोटर वाहनों की लाइसेंसिंग और रजिस्ट्रेशन, (ii) बिलबोर्ड्स और कमर्शियल साइनेज को रेगुलेट करना, (iii) सुरक्षा उपकरणों, सड़क अवसंरचना, यातायात नियंत्रण, ट्रॉमा सेंटर्स बनाने और उन्हें चलाने तथा पैरा मेडिकल केंद्रों के मानदंडों के लिए दिशानिर्देश तैयार करना।
- **तकनीकी कार्य समूह**: बोर्ड तकनीकी कार्य समूह बना सकता है जिसमें चेयरपर्सन और संबंधित कार्य क्षेत्र के अनुभव वाले स्वतंत्र तकनीकी विशेषज्ञ शामिल होंगे। ये समूह निम्नलिखित विषयों पर विचार-विमर्श करेंगे: (i) परिवहन सुरक्षा और सड़क मानक, (ii) यातायात प्रबंधन, (iii) दुर्घटना

की जांच, और (iv) मोटर वाहन, ईंधन और शोर के मानक।

ड्राफ्ट नियमों पर 7 जनवरी, 2021 तक टिप्पणियां आमंत्रित हैं।[58]

फ्रंट पैसेंजर सीट्स पर एयरबैग्स के प्रावधान को अनिवार्य करने वाले ड्राफ्ट नियम जारी

Shruti Gupta (shruti@prsindia.org)

सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 में संशोधन करने वाले ड्राफ्ट केंद्रीय मोटर वाहन (संशोधन) नियम, 2020 जारी किए।[60] ड्राफ्ट नियम वाहनों में फ्रंट पैसेंजर सीट पर एयरबैग लगाने को अनिवार्य करने का प्रस्ताव रखते हैं। यह शर्त नए वाहनों पर 1 अप्रैल, 2021 से और मौजूदा मॉडल्स पर 1 जून, 2021 से लागू होगी। ड्राफ्ट नियमों पर 28 जनवरी, 2021 तक टिप्पणियां आमंत्रित हैं।[61]

ड्राफ्ट एयरक्राफ्ट (दुर्घटनाओं और मामलों की जांच) संशोधन नियम, 2020 पर टिप्पणियां आमंत्रित

Aditya Kumar (aditya@prsindia.org)

नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने ड्राफ्ट एयरक्राफ्ट (दुर्घटनाओं और मामलों की जांच) संशोधन नियम, 2020 पर टिप्पणियां आमंत्रित की हैं।[62] ड्राफ्ट नियम एयरक्राफ्ट (दुर्घटनाओं और मामलों की जांच) नियम, 2017 में संशोधन करते हैं।[63] ड्राफ्ट नियमों की मुख्य विशेषताओं में निम्नलिखित शामिल हैं:

- **जांच रिपोर्ट का प्रकाशन:** ड्राफ्ट नियमों में एयरक्राफ्ट दुर्घटना जांच ब्यूरो महानिदेशालय से अपेक्षा की गई है कि वह जांच रिपोर्ट को सार्वजनिक करें।
- **मिसिंग एयरक्राफ्ट और सेफ्टी रिकमंडेशन ऑफ ग्लोबल कंसर्न (विश्व स्तर के सुरक्षा सुझाव) की परिभाषा**: ड्राफ्ट नियमों में यह निर्दिष्ट किया गया है कि एयरक्राफ्ट को मिसिंग तब माना जाएगा जब आधिकारिक खोज समाप्त हो जाए और किसी क्षति का पता न चले।

  ड्राफ्ट नियम यह भी कहते हैं कि (i) पुनरावृत्ति की आशंका, (ii) महत्वपूर्ण विश्वव्यापी परिणाम, और (iii) सुरक्षा में सुधार के लिए समयोचित कार्रवाई की जरूरत से संबंधित किसी व्यवस्थागत कमी को सेफ्टी रिकमंडेशन ऑफ ग्लोबल कंसर्न (एसआरजीसी) कहा जाएगा। व्यवस्थागत कमी रेगुलेशन या स्टैंडर्ड के अनुपालन की कमी को कहा जाता है।
- **गंभीर मामलों का वर्गीकरण:** ड्राफ्ट नियम कहते हैं कि: (i) लैंडिंग गियर लेग या व्हील्स-अप लैंडिंग का वापस हो जाना, और (ii) एयरक्राफ्ट के किसी हिस्से के लटकने (जैसे विंग टिप्स और इंजन पॉड्स) को गंभीर माना जाएगा, जब उन्हें दुर्घटना के रूप में वर्गीकृत न किया जाए।

ड्राफ्ट नियमों पर 15 जनवरी, 2021 तक टिप्पणियां आमंत्रित हैं।

इलेक्ट्रॉनिक्स और इनफॉरमेशन टेक्नोलॉजी

Saket Surya (saket@prsindia.org)

नॉन-पर्सनल डेटा संबंधी एक्सपर्ट कमिटी की रिपोर्ट पर टिप्पणियां आमंत्रित

जुलाई 2020 में इलेक्ट्रॉनिक्स और इनफॉरमेशन टेक्नोलॉजी मंत्रालय द्वारा नॉन-पर्सनल डेटा से संबंधित मुद्दों के अध्ययन के लिए गठित एक्सपर्ट कमिटी ने सार्वजनिक टिप्पणियों के लिए अपनी ड्राफ्ट रिपोर्ट प्रकाशित की थी।[64] इस रिपोर्ट पर प्राप्त फीडबैक के आधार पर कमिटी ने ड्राफ्ट के संशोधित संस्करण को सार्वजनिक टिप्पणियों के लिए जारी किया है।[65] संशोधित ड्राफ्ट के अंतर्गत मुख्य सुझावों में निम्नलिखित शामिल हैं:

- **नॉन-पर्सनल डेटा की परिभाषा**: नॉन पर्सनल डेटा ऐसे डेटा के रूप में परिभाषित है जोकि

पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल (पीडीपी), 2019 के अनुसार पर्सनल डेटा नहीं है, या ऐसा डेटा है जिसमें व्यक्तिगत रूप से चिन्हित होने वाली इनफॉरमेशन नहीं है। पीडीपी बिल के अंतर्गत पर्सनल डेटा में किसी व्यक्ति की विशेषताओं, लक्षण या पहचान से संबंधित डेटा शामिल होता है जिसे उसकी पहचान के लिए प्रयोग किया जा सकता है। संशोधित ड्राफ्ट में इस परिभाषा को बरकरार रखा गया है।

- कमिटी ने सुझाव दिया कि पीडीपी बिल को नॉन-पर्सनल डेटा से संबंधित प्रावधानों को हटाने के लिए संशोधित किया जाना चाहिए ताकि दो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क एक दूसरे से ओवरलैप न करें। वर्तमान में पीडीपी बिल केंद्र सरकार को यह अधिकार देता है कि वह किसी एंटिटी को सेवाओं के बेहतर लक्ष्यीकरण या प्रमाण आधारित नीतियां बनाने के लिए नॉन पर्सनल डेटा प्रदान करने का निर्देश दे सकती है।
- पहले ड्राफ्ट में नॉन-पर्सनल डेटा को निम्नलिखित में वर्गीकृत किया गया है: (i) पब्लिक: सरकार द्वारा जनरेट किया जाने वाला डेटा, (ii) कम्युनिटी नॉन-पर्सनल डेटा: प्राकृतिक व्यक्तियों के समुदाय से सोर्स होने वाला प्राकृतिक या तथ्यात्मक डेटा, और (iii) निजी: निजी स्वामित्व वाली प्रक्रियाओं (डेराइव्ड इनसाइट्स, एल्गोरिथम्स या प्रोपराइटरी) के जरिए निजी एंटिटी द्वारा जमा या जनरेट होने वाला डेटा। संशोधित ड्राफ्ट में कमिटी ने इस वर्गीकरण को हटा दिया है।
- **हाई-वैल्यू डेटासेट्स:** पहले ड्राफ्ट में कहा गया था कि सरकार कुछ डेटासेट्स को राष्ट्रीय स्तर पर हाई-वैल्यू डेटासेट्स के तौर पर निर्दिष्ट कर सकती है। संशोधित ड्राफ्ट में कहा गया है कि जो डेटासेट्स बड़े पैमाने पर समुदाय के लिए लाभप्रद हैं और जिन्हें सार्वजनिक हित के लिए साझा किया जाता है, उन्हें हाई-वैल्यू डेटासेट्स के तौर पर वर्गीकृत किया जाता है। हां, ये कुछ दिशानिर्देशों का विषय हैं। इनमें निम्नलिखित के लिए उपयोगी डेटासेट्स शामिल होंगे: (i) नई और उच्च क्वालिटी की नौकरियों का सृजन, (ii) नए कारोबार का सृजन, और (iii) वित्तीय समावेश, स्वास्थ्य सेवाओं और शहरी योजना जैसे आर्थिक उद्देश्य। डेटा ट्रस्टी नामक एक रिप्रेजेंटेटिव एंटिटी को हाई-वैल्यू डेटासेट्स के सृजन, रखरखाव और शेयरिंग के लिए नियुक्त किया जा सकता है। डेटा ट्रस्टी जरूरी डेटा के लिए डेटा कस्टोडियन्स (डेटा जमा, प्रोसेस और स्टोर करने वाली एंटिटी) से अनुरोध कर सकता है।
- **नॉन-पर्सनल डेटा की शेयरिंग**: पहले ड्राफ्ट के अनुसार, कोई एंटिटी निम्नलिखित के लिए डेटा शेयरिंग का अनुरोध कर सकती है: (i) सोवरिन उद्देश्य से (जैसे राष्ट्रीय सुरक्षा या कानूनी जरूरत), (ii) सार्वजनिक हित के लिए (नीतियां बनाना या बेहतर तरीके से सेवाएं प्रदान करना), या (iii) आर्थिक उद्देश्य से (लेवल प्लेइंग फील्ड देने के लिए या मौद्रिक विचारण के लिए)। संशोधित ड्राफ्ट में केवल सार्वजनिक हित के उद्देश्य से शेयरिंग जरूरी की गई है। इसमे केवल डेटा ट्रस्टी द्वारा प्रबंधित हाई-वैल्यू डेटासेट्स की शेयरिंग अनिवार्य की गई है। कमिटी ने कहा कि सोवरिन, और फॉर-प्रॉफिट एंटिटीज़ के बीच कारोबारी उद्देश्यों के लिए डेटा शेयरिंग पहले से मौजूद है इसलिए उसने इस पर कोई सुझाव नहीं दिए।

संशोधित ड्राफ्ट पर 27 जनवरी, 2021 तक टिप्पणियां आमंत्रित हैं। रिपोर्ट के संशोधित ड्राफ्ट का सारांश यहां पढ़ें। पहले ड्राफ्ट की रिपोर्ट का सारांश यहां पढ़ें।

एडिटिव मैन्यूफैक्चरिंग के लिए ड्राफ्ट राष्ट्रीय रणनीति पर टिप्पणियां आमंत्रित

इलेक्ट्रॉनिक्स एवं इनफॉरमेशन टेक्नोलॉजी मंत्रालय ने एडिटिव मैन्यूफैक्चरिंग के लिए ड्राफ्ट

राष्ट्रीय रणनीति पर टिप्पणियां आमंत्रित की हैं।[66] एडिटिव मैन्यूफैक्चरिंग (जिसे आम तौर पर 3डी प्रिंटिंग कहा जाता है) का अर्थ है, सामग्रियों को परत दर परत लगाते हुए डिजिटल 3डी मॉडल से तीन आयामी वस्तु का निर्माण करना। इस टेक्नोलॉजी का उपयोग विभिन्न उद्योगों जैसे एयरोस्पेस, इलेक्ट्रॉनिक्स और उपभोक्ता वस्तुओं में किया जा रहा है।

मंत्रालय ने कहा कि एडिटिव मैन्यूफैक्चरिंग उद्योग तेजी से बढ़ रहा है और 2023 तक 36 बिलियन USD होने का अनुमान है। हालांकि, युनाइडेट स्टेट्स ऑफ अमेरिका, चीन और जर्मनी जैसे देशों की तुलना में, भारत में एडिटिव मैन्यूफैक्चरिंग को बहुत अधिक नहीं अपनाया गया है।[66] रणनीति में एडिटिव मैन्यूफैक्चरिंग की दिशा की कुछ चुनौतियों को चिन्हित किया गया है। इनमें शामिल हैं: (i) आयात पर निर्भरता के कारण उपकरण और सामग्री की उच्च लागत, (ii) औपचारिक उद्योग मानकों की कमी, (iii) कुशल श्रमशक्ति की कमी, और (iv) रेगुलेटरी और कानूनी ढांचे में अनिश्चितता। ड्राफ्ट रणनीति के तहत प्रमुख सुझावों में निम्नलिखित शामिल हैं:

- **एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देना**: सरकारी खरीद नीति को अपने कामकाज के लिए एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग मशीन, मैन्युफैक्चरिंग कंपोनेंट्स और सिस्टम को खरीदने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। स्थानीय मैन्यूफैक्चरर्स को सहयोग देने के लिए वरीयता प्राप्त बाजार एक्सेस नीति विकसित की जानी चाहिए। एमएसएमई हेतु प्रौद्योगिकी उन्नयन के लिए सरकारी योजनाओं में एडिटिव मैन्यूफैक्चरिंग को शामिल किया जाना चाहिए। उद्योग को निम्नलिखित लाभों के संबंध में सुझाव दिए गए हैं: (i) दीर्घकालिक कर लाभ, (ii) सब्सिडी युक्त किराये पर रेडी टू यूज सुविधाएं, और (iii) उच्च खपत वाली इकाइयों के लिए बिजली दरों में लाभ।
- **राष्ट्रीय एडिटिव मैन्यूफैक्चरिंग केंद्र**: एडिटिव मैन्यूफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी के विकास और उसे अपनाने के लिए राष्ट्रीय पहल हेतु एकल केंद्र बनाया जा सकता है। केंद्र कई तरह की पहल कर सकता है, जैसे एडिटिव मैन्यूफैक्चरिंग को एकीकृत करने की क्षेत्रीय क्षमता का अध्ययन और मानकों एवं सर्टिफिकेशंस का विकास।
- **अनुसंधान**: एडिटिव मैन्यूफैक्चरिंग के लिए खास तौर से एक उत्कृष्ट केंद्र (सेंटर ऑफ एक्सिलेंस) शुरू किया जा सकता है। इस क्षेत्र में अनुसंधान के लिए सहायतानुदान प्रदान किया जा सकता है। सरकार द्वारा वित्त पोषित परियोजनाओं के जरिए विकसित बौद्धिक संपत्ति को सुगम बनाया जाना चाहिए। सरकार तथा उद्योग स्तर पर अनुसंधान और विकास के लिए अंतरराष्ट्रीय भागीदारी को बढ़ावा दिया जाना चाहिए।
- **दक्षता विकास**: एडिटिव मैन्यूफैक्चरिंग के लिए श्रम शक्ति को विकसित करने हेतु इंजीनियरिंग करिकुलम और उद्योग जगत में अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम्स में एडिटिव मैन्यूफैक्चरिंग को शामिल किया जाना चाहिए। सभी शैक्षणिक स्तरों के लिए प्रशिक्षण मॉड्यूल के साथ फ्री ऑनलाइन रिसोर्सेज, सर्टिफिकेशंस और डिप्लोमा दिए जाने चाहिए। शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए विशेष करिकुलम विकसित किया जाना चाहिए ताकि वे तकनीक के अभ्यस्त हो सकें।

संचार

Saket Surya (saket@prsindia.org)

पब्लिक वाई-फाई के जरिए ब्रॉडबैंड के प्रसार के लिए नया फ्रेमवर्क जारी

दूरसंचार विभाग (डॉट) ने पब्लिक वाई-फाई नेटवर्क के जरिए ब्रॉडबैंड के प्रसार के लिए प्रधानमंत्री वाई-फाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस

(पीएम-वाणी) नामक नए फ्रेमवर्क को जारी किया है।[67,68] फ्रेमवर्क पब्लिक वाई-फाई एक्सेस प्वाइंट्स के नेटवर्क के जरिए लास्ट माइल ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी में सुधार करने का प्रयास करता है। फ्रेमवर्क से स्थानीय दुकानों और छोटे इस्टैबलिशमेंट्स के लिए वाई-फाई सर्विस प्रोवाइडर बनना आसान होगा। पीएम-वाणी फ्रेमवर्क में निम्नलिखित शामिल हैं:

- **पब्लिक डेटा ऑफिसर (पीडीओ)**: पीडीओज़ ऐसी एंटिटी होते हैं जोकि टेलीकॉम/इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स से इंटरनेट ब्रैंडविथ खरीदेंगे और पीएम-वाणी कंप्लायंट वाई-फाई एक्सेस प्वाइंट्स स्थापित और संचालित करेंगे। पीडीओज़ को किसी अथॉरिटी से लाइसेंस हासिल करने या रजिस्टर करने की कोई जरूरत नहीं होगी। सेवा प्रदान करने के लिए पीडीओज़ से कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा।
- **पब्लिक डेटा ऑफिसर एग्रीगेटर (पीडीओए)**: पीडीओए, पीडीओज़ के एग्रीगेटर होंगे और यूजर्स के ऑथराइजेशन से संबंधित काम करेंगे और उनकी ओर से सबस्क्रिप्शन चार्ज को एकाउंट करेंगे। पीडीओएज़ को डॉट के साथ रजिस्टर करना जरूरी होगा।
- **ऐप प्रोवाइडर**: ऐप प्रोवाइडर्स यूजर को रजिस्टर करने के लिए ऐप बनाएंगे, निकटवर्ती क्षेत्र में पीएम-वाणी कंप्लायंट वाई-फाई एक्सेस प्वाइंट्स का पता लगाएंगे और ऐप पर उसे दर्शाएंगे ताकि यूजर इंटरनेट को एक्सेस कर सके। ऐप प्रोवाइडर को डॉट के साथ रजिस्टर करना होगा। डॉट में रजिस्टर करने से पीडीओए और ऐप प्रोवाइडर, दोनों को भारत भर में काम करने की अनुमति मिल जाएगी।
- **सेंट्रल रजिस्ट्री**: सेंट्रल रजिस्ट्री पीडीओज़, पीडीओएज़ और ऐप प्रोवाइडर्स (पीडीओएज़ के जरिए उपलब्ध) का विवरण रखेगी। वह फ्रेमवर्क के विर्निदेशों के अनुरूप पीडीओए और ऐप प्रोवाइडर्स के सिस्टम्स और सॉफ्टवेयर ऐप्लिकेशंस को सर्टिफाई करेगी।

यूजर को किसी ऐप प्रोवाइडर के ऐप को डाउनलोड करना होगा, उसका सत्यापन करवाना होगा और फिर वह किसी भी पीएम-वाणी कंप्लायंट वाई-फाई एक्सेस प्वाइंट से इंटरनेट एक्सेस कर सकता है।

कैबिनेट ने स्पेक्ट्रम की नीलामी को मंजूरी दी

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 700 MHz, 800 MHz, 900 MHz, 1,800 MHz, 2,100 MHz, 2,300 MHz और 2,500 MHz फ्रीक्वेंसी बैंड में स्पेक्ट्रम की नीलामी के प्रस्ताव को मंजूरी दी।[69] 3.9 लाख करोड़ रुपए के स्पेक्ट्रम की नीलामी की जाएगी। स्पेक्ट्रम को 20 वर्ष की अवधि के लिए सफल बोलीदाता को सौंपा जाएगा।

सफल बोलीदाता एक बार में पूरी बोली राशि का भुगतान कर सकते हैं। उनके पास एक निश्चित राशि पहले और 16 समान वार्षिक किश्तों में शेष राशि का भुगतान करने का विकल्प भी होगा। 700 MHz, 800 MHz और 900 MHz बैंड में स्पेक्ट्रम के लिए, 25% बोली राशि का भुगतान पहले करना होगा। अन्य बैंडों के लिए, बोली राशि का 50% अग्रिम चुकाना होगा। किश्तों के भुगतान के लिए दो साल की मोहलत मिलेगी।

बोली राशि के अतिरिक्त सफल बोलीदाताओं को स्पेक्ट्रम उपयोग शुल्क के रूप में 3% समायोजित सकल राजस्व (एजीआर) सालाना देना होगा। इसके लिए वायरलाइन सेवाओं से प्राप्त राजस्व को एजीआर में शामिल नहीं किया जाएगा। सकल राजस्व से कुछ शुल्कों और करों को घटाने के बाद एजीआर निकाला जाता है जैसे दूसरे सर्विस प्रोवाइडर्स को रोमिंग चार्ज और सकल राजस्व में शामिल कोई भी सेवा कर और बिक्री कर।

दूरस्थ क्षेत्रों में टेलीकॉम कनेक्टिविटी में सुधार के लिए कैबिनेट ने परियोजनाओं को मंजूरी दी

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दूरस्थ क्षेत्रों में दूरसंचार कनेक्टिविटी में सुधार के लिए दो परियोजनाओं को मंजूरी दी। इन परियोजनाओं को यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड (यूएसओएफ) से वित्त

पोषित किया जाएगा।[70,71] यूएसओएफ की स्थापना ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में लोगों तक सूचना और कम्यूनिकेशन टेक्नोलॉजी सेवाओं की व्यापक, गैर-भेदभावपूर्ण और वहन करने योग्य सुविधा प्रदान करने के लिए की गई है। विभिन्न लाइसेंसों के अंतर्गत सभी दूरसंचार ऑपरेटरों के राजस्व से एक राशि ली जाती है और इसी से यूएसओएफ के लिए संसाधन जुटाए जाते हैं। जिन दो परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है, वे इस प्रकार हैं:

- **कोच्चि और लक्षद्वीप द्वीप समूह के बीच सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर केबल लिंक:** इस परियोजना के तहत, कोच्चि और लक्षद्वीप के 11 द्वीपों के बीच सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर केबल के माध्यम से एक सीधा कम्यूनिकेशन लिंक बनाया जाएगा। वर्तमान में लक्षद्वीप द्वीप समूह को टेलीकॉम कनेक्टिविटी प्रदान करने का एकमात्र माध्यम सेटेलाइट्स हैं और उपलब्ध बैंडविड्थ 1 Gbps तक सीमित है। परियोजना की अनुमानित लागत 1,072 करोड़ रुपए है। परियोजना को मई 2023 तक पूरा करने का लक्ष्य है।
- **अरुणाचल प्रदेश और असम के कुछ हिस्सों में मोबाइल कवरेज:** यह परियोजना अरुणाचल प्रदेश के 1,683 अनकवर्ड गांवों और असम के करबी आंगलोंग और दीमा हसाओ जिलों के 691 गांवों में मोबाइल कवरेज प्रदान करेगी। परियोजना की अनुमानित लागत 2,029 करोड़ रुपए है। परियोजना को दिसंबर 2022 तक पूरा करने का लक्ष्य है।

सूचना और प्रसारण

Anurag Vaishnav (anurag@prsindia.org)

कैबिनेट ने डीटीएस सेवाओं के दिशानिर्देशों में संशोधनों को मंजूर किया

केंद्रीय कैबिनेट ने भारत में डायरेक्ट टू होम (डीटीएच) ब्रॉडकास्टिंग सेवा के लाइसेंस हासिल करने के दिशानिर्देशों में संशोधनों को मंजूर किया है।[72] डीटीए लाइसेंस के जरिए ऑपरेटर एंड-यूजर को सीधे ब्रॉडकास्टिंग सेवा प्रदान कर सकता है। दिशानिर्देशों में मुख्य परिवर्तनों में निम्नलिखित शामिल हैं:

- **लाइसेंस की अवधि**: वर्तमान में डीटीएच लाइसेंस 10 वर्ष की अवधि के लिए वैध है। यह 20 वर्ष तक बढ़ा दिया गया है। लाइसेंस को 10 वर्ष की अवधि के लिए रीन्यू किया जा सकता है।
- **लाइसेंस की फीस**: वर्तमान में लाइसेंसी को कंपनी के सकल राजस्व का 10% वार्षिक लाइसेंस फीस के तौर पर चुकाना पड़ता है। इसे समायोजित सकल राजस्व (एजीआर) के 8% पर संशोधित किया गया है। एजीआर की गणना सकल राजस्व से जीएसटी निकालकर की जाती है। इस संशोधन को भविष्य में लागू किया जाएगा (दिशानिर्देशों के बाद दिए जाने वाले लाइसेंसों पर)। इसके अतिरिक्त लाइसेंस फीस हर वर्ष के बजाय हर तीन महीने में जमा की जाएगी।
- **प्लेटफॉर्म सेवाएं**: वितरण सेवा प्रदाता ऐसे कई प्रोग्राम्स देते हैं जो सेटेलाइट आधारित प्लेटफॉर्म से हासिल नहीं होते और हर प्लेटफॉर्म के लिए खास होते हैं। इन प्रोग्राम्स को प्लेटफॉर्म सर्विस कहा जाता है। दिशानिर्देशों में कहा गया है कि डीटीएच ऑपरेटर्स को अनुमत प्लेटफॉर्म चैनल्स के तौर पर अपनी कुल चैनल क्षमता के अधिकतम 5% को ऑपरेट करने की अनुमति होगी। हर चैनल के लिए 10,000 वन-टाइम नॉन रिफंडेबल रजिस्ट्रेशन फीस वसूली जाएगी।

- **इंफ्रास्ट्रक्चर की शेयरिंग**: डीटीएच ऑपरेटर स्वेच्छा से दूसरे ऑपरेटर से अपने डार्डवेयर इंफ्रास्ट्रक्चर को शेयर कर सकते हैं। डीटीएच ऑपरेटर्स के इंफ्रास्ट्रक्टर को शेयर करने से सेटेलाइट संसाधनों का बेहतर इस्तेमाल हो सकता है और उपभोक्ताओं की लागत भी कम हो सकती है।

ऑनलाइन गेमिंग और फैंटेसी स्पोर्ट्स विज्ञापनों पर एएससीआई दिशानिर्देशों के अनुपालन की एडवाइजरी जारी

सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने गौर किया है कि ऑनलाइन गेमिंग और फैंटेसी स्पोर्ट्स के विज्ञापन टेलीविजन पर बड़ी संख्या में नजर आ रहे हैं। इसके मद्देनजर मंत्रालय ने सभी निजी सेटेलाइट चैनलों को एक एडवाइजरी जारी की है ताकि एडवाइजरी स्टैंडर्ड्स काउंसिल ऑफ इंडिया (एएससीआई) द्वारा नवंबर 2020 में जारी दिशानिर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित हो। एएससीआई के दिशानिर्देशों में निम्नलिखित प्रावधान हैं:[73]

- विज्ञापन में यह नहीं प्रदर्शित होना चाहिए कि 18 वर्ष के कम आयु का व्यक्ति या ऐसा व्यक्ति जो 18 वर्ष से कम आयु का लगता हो, वास्तविक धनराशि जीतने के लिए ऑनलाइन गेम खेल रहा है।
- विज्ञापन में यह डिस्क्लेमर होना चाहिए कि इस गेम में वित्तीय जोखिम है और यह व्यसन (नशा) हो सकता है। इस डिस्क्लेमर को कम से कम 20% विज्ञापन स्पेस में मौजूद होना चाहिए।
- विज्ञापन में यह प्रदर्शित नहीं होना चाहिए कि "वास्तविक धनराशि जीतने के लिए ऑनलाइन गेमिंग" आय का अवसर या वैकल्पिक करियर है। इसके अतिरिक्त इसमें यह नहीं कहा जाना चाहिए कि गेमिंग करने वाला व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति से अधिक सफल है।

गृह मामले

Roshni Sinha (roshni@prsindia.org)

प्राइवेस सिक्योरिटी एजेंसी के नियम अधिसूचित

गृह मामलों के मंत्रालय ने प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसीज़ (रेगुलेशन) एक्ट, 2005 के अंतर्गत प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसीज़ केंद्रीय मॉडल नियम, 2020 को अधिसूचित किया।[74] एक्ट में भारत में प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसियों के रेगुलेशन का प्रावधान है। 2020 के नियम प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसीज़ केंद्रीय मॉडल नियम, 2006 का स्थान लेते हैं। नियमों की मुख्य विशेषताओं में निम्नलिखित शामिल हैं:

- **लाइसेंस**: सिक्योरिटी एजेंसियों को संचालन के लाइसेंस के लिए कंट्रोलिंग अथॉरिटी (एक्ट के अंतर्गत नियुक्त) में आवेदन करना होगा। लाइसेंस लेने के लिए एजेंसी को कम से कम छह दिन के ट्रेनिंग सत्र में भाग लेना होगा। इस सत्र में वीआईपी सिक्योरिटी, कम्यूनिकेशन उपकरणों से काम लेने, कानूनी प्रावधानों की जानकारी और सिक्योरिटी एजेंसियों का प्रबंधन जैसे विषयों का प्रशिक्षण दिया जाएगा। लाइसेंस पांच वर्ष की अवधि के लिए वैध होगा और एजेंसियां इसे रीन्यू के लिए आवेदन कर सकती हैं।
- **पृष्ठभूमि की जांच**: सिक्योरिटी गार्ड या सुपरवाइजर नियुक्त करने से पहले एजेंसी को आवेदक के चरित्र और इतिहास की जांच करनी चाहिए। इसके लिए एजेंसी व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत सर्टिफिकेट्स पर भरोसा कर सकती है या इलेक्ट्रॉनिक डेटाबेस जैसे इंटरऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम की जांच करके उसके इतिहास को सत्यापित कर सकती है।
- **गार्ड्स की ट्रेनिंग**: प्रवेश स्तर के सिक्योरिटी गार्ड को 100 घंटों की क्लासरूम ट्रेनिंग और 60 घंटे की फील्ड ट्रेनिंग लेनी चाहिए। फील्ड ट्रेनिंग में सार्वजनिक आचरण, पहचान संबंधी दस्तावेजों की जांच, प्राथमिक चिकित्सा की प्रयोग, सुरक्षा उपकरणों का इस्तेमाल, और भारतीय दंड संहिता, 1860

की बुनियादी जानकारी शामिल है। पूर्व सैनिक और पूर्व पुलिसकर्मी अल्पावधि के पाठ्यक्रम, 40 घंटे के क्लासरूम निर्देश और 16 घंटे की फील्ड ट्रेनिंग, में भाग ले सकते हैं। कंट्रोलिंग अथॉरिटी इस विस्तृत सिलेबस को तैयार करेगी।

- **मेडिकल जांच**: नियमों में सिक्योरिटी गार्ड्स की शारीरिक तंदुरुस्ती के मानदंड निर्धारित किए गए हैं। इनमें कद, दृष्टि, और सुनने की शक्ति पर आधारित मानदंड शामिल हैं। सभी सिक्योरिटी एजेंसी को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि हर गार्ड की साल में एक बार मेडिकल जांच हो ताकि वह प्रवेश स्तर पर निर्धारित शारीरिक तंदुरुस्ती के मानदंडों को बरकरार रखने को प्रेरित हो।
- **सुपरवाइजर्स के लिए प्रावधान:** सुपरवाइजर 15 प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड्स के कामकाज को सुपरवाइज कर सकता है। अगर गार्ड्स अलग-अलग परिसरों में तैनात हों और एक सुपरवाइजर द्वारा उनके काम को सुपरवाइज करना व्यावहारिक न हो तो एजेंसी को एक से अधिक सुपरवाइजर तैनात करने चाहिए ताकि सहायता और सलाह देने और सुपरवाइज करने के लिए हर छह गार्ड्स पर एक सुपरवाइजर उपलब्ध हो।

कृषि

ड्राफ्ट राष्ट्रीय फिशरीज़ नीति जारी

Suyash Tiwari (suyash@prsindia.org)

फिशरीज़ विभाग ने सार्वजनिक टिप्पणियों के लिए राष्ट्रीय फिशरीज़ नीति का संशोधित ड्राफ्ट जारी किया है।[75] इससे पहले का ड्राफ्ट फरवरी 2020 में जारी किया गया था।[76] नीति का उद्देश्य व्यापक विकास के लिए फिशरीज़ से संबंधित विभिन्न पहलुओं (जैसे इनलैंड फिशरीज़, समुद्री पौधे और जीव, प्रोसेसिंग और मार्केटिंग) पर केंद्रित नीतियों को एकीकृत करना है।

संशोधित ड्राफ्ट नीति की मुख्य विशेषताओं में निम्नलिखित शामिल हैं:

- **उद्देश्य**: नीति के उद्देश्यों में निम्नलिखित शामिल हैं: (i) 2021-30 के दौरान फिशरीज़ क्षेत्र का सतत विकास, (ii) संसाधनों और संबंधित निवासियों का सुप्रबंधन और सतत विकास, (iii) बढ़ती आबादी के लिए भोजन की आवश्यकता और पोषण सुरक्षा को सुनिश्चित करना, (iv) मछुआरा समुदाय के अधिकारों की रक्षा करना और उनमें परिस्थिति के अनुसार बदलाव को संभव बनाना, और (v) भारत के मत्स्य और मत्स्य उत्पादों को विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाना।
- **कानूनी संरचना**: तटीय राज्यों के मरीन फिशिंग रेगुलेशन ऐक्ट्स को संशोधित किए जाने की जरूरत है ताकि उन्हें अंतरराष्ट्रीय समझौतों के अनुकूल बनाया जा सके और यह सुनिश्चित हो कि उनमें फिशरीज़ प्रबंधन के सभी पहलू शामिल हों। केंद्र सरकार राज्यों के विचार के लिए इस संबंध में एक मॉडल बिल तैयार करेगी। इसी प्रकार इनलैंड फिशरीज़ और एक्वाकल्चर के रेगुलेशन के लिए भी एक मॉडल बिल तैयार करने की जरूरत है। ये बिल राज्यों के मौजूदा कानूनों का स्थान ले सकता है या राज्य इस बिल के जरिए उनमें संशोधन कर सकते हैं ताकि राज्यों के कानून समसामयिक बनें और प्रासंगिक विषयों के अनुरूप हों।
- **स्थायित्व:** फिशिंग के प्रयासों के अनुकूलन और संसाधनों की कमी की जांच के उपायों को लागू करने एवं स्थायित्व सुनिश्चित करने के लिए वैज्ञानिक संस्थानों और मछुआरों की विशेषज्ञता का उपयोग किया जाएगा। प्राकृतिक संसाधनों को संरक्षित और सतत रखने के लिए व्यापक प्रबंधन योजनाएं बनाई जाएंगी। नीति में नदी के पारिस्थितिकी तंत्र में सुधार और नदियों एवं उनकी सहायिकाओं में प्रदूषण को रोकने पर भी ध्यान दिया जाएगा।

- **समन्वय**: केरल, पुद्दुचेरी और तमिलनाडु ने फिशरीज़ के प्रबंधन के लिए विभिन्न स्तरों पर सह प्रबंधन संरचनाएं स्थापित की हैं। अधिकारों और कर्तव्यों के चार्टर्स जैसे उपायों को सरकार और समुदाय के बीच लागू किया गया है। नीति का उद्देश्य दूसरे इनलैंड और तटीय राज्यों तक इस पहल को आगे बढ़ाना है। नीति फिशरीज और मैरीटाइम मामलों के मंत्रालय के अंतर्गत मौजूदा मंत्रालय के जनादेश को आगे बढ़ाती है। यह फिशरीज़ गवर्नेंस के लिए एक एंब्रेला एजेंसी है। नया मंत्रालय विभिन्न मंत्रालयों के अंतर्गत फिशरीज़ से जुड़े पहलुओं पर काम करने वाले विभिन्न संस्थानों को एकीकृत करेगा। नीति का उद्देश्य केंद्र और राज्य सरकारों की सभी संबंधित एजेंसियों के बीच समन्वक निकायों के माध्यम से बेहतर समन्वय स्थापित करना है।

ड्राफ्ट नीतियों पर 20 जनवरी, 2021 तक टिप्पणियां आमंत्रित हैं।

2020-21 सत्र के लिए चीनी पर निर्यात सबसिडी को कैबिनेट की मंजूरी

Saket Surya (saket@prsindia.org)

केंद्रीय कैबिनेट ने चीनी मिलों को 3,500 करोड़ रुपए की निर्यात सबसिडी को मंजूरी दे दी है।[77] सबसिडी का उद्देश्य चीनी के अतिरिक्त स्टॉक को कम करना है। सबसिडी में मार्केटिंग पर चीनी मिलों की लागत को कवर किया जाएगा, जिसमें हैंडलिंग, अपग्रेडिंग, और अन्य प्रोसेसिंग लागत और परिवहन शुल्क शामिल हैं। 60 लाख मीट्रिक टन चीनी के निर्यात के लिए सब्सिडी को मंजूरी दी गई है।

मिलों में चीनी के अतिरिक्त स्टॉक के कारण किसानों को इन मिलों में गन्ने की बिक्री का देय नहीं मिल पाता है। इसलिए मिलों की बकाया राशि के तौर पर इस सबसिडी को सीधे किसानों के खातों में जमा किया जाएगा और बाद में शेष राशि, यदि कोई हो, को मिलों को हस्तांतरित कर दिया जाएगा।

कैबिनेट ने इथेनॉल उत्पादन को बढ़ाने के लिए ब्याज सबसिडी योजना में संशोधन किए

Saket Surya (saket@prsindia.org)

केंद्रीय कैबिनेट ने इथेनॉल उत्पादन क्षमता में वृद्धि के लिए चीनी मिलों और डिस्टिलरीज़ को ब्याज अनुदान प्रदान करने की योजना के विस्तार को मंजूरी दी।[78] ब्याज अनुदान प्रति वर्ष 6% की दर से, या ब्याज की दर के 50% पर प्रदान किया जाता है- इनमें से जो भी कम हो। इससे पहले केवल चीनी मिलें और मोलासेस (शीरा) आधारित स्टैंडअलोन डिस्टिलरीज़ जो गन्ने के रस, चीनी सिरप, चीनी और बी-हैवी मोलासेस से इथेनॉल का उत्पादन करती थीं, योजना के अंतर्गत पात्र थीं।[78,79] संशोधित योजना का उद्देश्य दूसरे फीड स्टॉक जैसे चुकंदर और अनाज, जैसे चावल, गेहूं, ज्वार, मक्के और जौ के साथ फर्स्ट जनरेशनल इथेनॉल के उत्पादन की क्षमता को बढ़ाना है।

केंद्र सरकार ने 2030 तक पेट्रोल के साथ फ्यूल-ग्रेड इथेनॉल के 20% मिश्रण का लक्ष्य तय किया था, जिसे 2025 तक पूरा करने की योजना है।[78] उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने कहा कि सम्मिश्रण का लक्ष्य केवल गन्ने और चीनी से इथेनॉल के उत्पादन से प्राप्त नहीं किया जा सकता है। इसके लिए अन्य फीड स्टॉक से इथेनॉल के उत्पादन की भी जरूरत है, लेकिन उनकी वर्तमान उत्पादन क्षमता पर्याप्त नहीं है।

संशोधित योजना के अंतर्गत निम्नलिखित की स्थापना या उसके विस्तार के लिए ऋण लेने पर ब्याज अनुदान मिलेगा: (i) अन्य फीड स्टॉक्स से फर्स्ट जनरेशन इथेनॉल का उत्पादन करने वाली डिस्टिलरीज़, (ii) ड्राई मिलिंग प्रक्रिया का इस्तेमाल करने वाली अन्न आधारित डिस्टिलरीज़, और (iii) डुअल फीड डिस्टिलरीज़ (मोलासेस और अन्न या दूसरे फीड स्टॉक का इस्तेमाल करने वाली)। अगर कोई मोलासेस आधारित या अन्न आधारित डिस्टिलरी, डुअल फीड डिस्टिलरी में बदलने के लिए लोन लेती है

तो उसे भी यह ब्याज अनुदान मिलेगा। संशोधित योजना के अंतर्गत वही डिस्टिलरी पात्र होंगी जो पेट्रोल के साथ सम्मिश्रण के लिए तेल मार्केटिंग कंपनियों को अतिरिक्त क्षमता से उत्पादित इथेनॉल के न्यूनतम 75% की आपूर्ति करती हैं।

शिक्षा

Anurag Vaishnav (anurag@prsindia.org)

शिक्षा मंत्रालय ने स्कूल बैग संबंधी नीति, 2020 को जारी किया

शिक्षा मंत्रालय द्वारा गठित एक कार्य समूह ने स्कूल बैग नीति, 2020 को जारी किया है।[80] इस कार्य समूह का गठन 2018 में मद्रास हाई कोर्ट के उस फैसले के बाद किया गया था, जिसमें अदालत ने केंद्र सरकार को स्कूल बैग्स पर नीति बनाने को कहा था। इस नीति में स्कूल बैग के वजन को कम करने के सुझावों का प्रावधान किया गया है।

नीति में सुझाव दिया गया है कि स्कूल बैग के वजन को स्टूडेंट्स के 10% वजन पर सीमित करने के सार्वभौमिक नियम का पालन कक्षा 1 से कक्षा 10 तक किया जाना चाहिए। यह देखा गया है कि भारी बैग से स्टूडेंट्स की रीढ़ की हड्डी की मुद्रा, पैर के आकार और चलने पर असर पड़ सकता है। उसने सुझाव दिया कि स्कूल बैग के वजन पर नजर रखी जानी चाहिए और स्कूल में नियमित आधार पर इसकी जांच होनी चाहिए। विकलांग स्टूडेंट्स के लिए लॉकर लगाए जाने चाहिए जहां वे किताबें और दूसरी वस्तुओं को रख सकें।

इसके अतिरिक्त नीति में सुझाव दिया गया है कि एनसीआईआरटी को विभिन्न समय सारिणियों, अनुभवात्मक शिक्षाविदों और टीम शिक्षण का उपयोग करते हुए स्कूलों में बैगलेस दिनों का संचालन करने के लिए दिशानिर्देश तैयार करने चाहिए। उल्लेखनीय है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 में कक्षा 6-8 के लिए 10 दिन बैगलेस अवधि का सुझाव दिया गया है जहां स्टूडेंट्स स्थानीय व्यावसायिक विशेषज्ञों जैसे कलाकारों और उद्यान विशेषज्ञों के साथ इंटर्नशिप करें।[81]

पर्यावरण

Aditya Kumar (aditya@prsindia.org)

सरकार ने पेरिस समझौते को लागू करने के लिए मंत्रिस्तरीय कमिटी बनाई

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने पेरिस समझौते के कार्यान्वयन के लिए एक उच्च-स्तरीय अंतर-मंत्रालयी कमिटी का गठन किया।[82] पेरिस समझौता जलवायु परिवर्तन पर एक अंतरराष्ट्रीय संधि है, जिसका उद्देश्य विश्व स्तर पर ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को कम करना है। कमिटी में 17 सदस्य शामिल हैं, जिनमें शामिल हैं: (i) अध्यक्ष के रूप में मंत्रालय के सचिव, (ii) उपाध्यक्ष के रूप में मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव (iii) मंत्रालय के अतिरिक्त महानिदेशक (वन), और (iv) वित्त, स्वास्थ्य और बिजली सहित 14 मंत्रालयों के संयुक्त सचिव सदस्य के रूप में।

कमिटी भारत में कार्बन मार्केट्स के लिए राष्ट्रीय रेगुलेटरी अथॉरिटी होगी। उसके कार्यों में निम्नलिखित शामिल होंगे: (i) भारत के घरेलू जलवायु परिवर्तन को अंतरराष्ट्रीय बाध्यताओं के अनुकूल करने के लिए नीतियां और कार्यक्रम बनाना, (ii) नेशनली डिटरमिन्ड कॉन्ट्रीब्यूशंस (एनडीसीज़) के कम्यूनिकेशंस का युनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज (यूएनएफसीसीसी) के साथ समन्वय करना, और (iii) भारत के एनडीसी लक्ष्यों को हासिल करने के लिए संबंधित मंत्रालयों की जिम्मेदारियों को स्पष्ट करना। विश्व के विभिन्न देशों में जलवायु संबंधी पहल को एनडीसी कहा जाता है। इसमें पेरिस समझौते के अंतर्गत लक्ष्यों को हासिल करने के लिए ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन कम करने की कार्य योजनाएं शामिल होती हैं।

ऊर्जा

Aditya Kumar (aditya@prsindia.org)

इलेक्ट्रिसिटी (उपभोक्ता अधिकार) नियम, 2020 जारी किए गए

ऊर्जा मंत्रालय ने इलेक्ट्रिसिटी (उपभोक्ता अधिकार) नियम, 2020 जारी किए।[83,84] इलेक्ट्रिसिटी एक्ट, 2003 के अंतर्गत इन नियमों को जारी किया गया है। नियमों की मुख्य विशेषताओं में निम्नलिखित शामिल हैं:

- **उपभोक्ताओं के अनुरोधों को पूरा करना**: डिस्कॉम्स को विभिन्न सेवाओं के आवेदकों को सभी प्रक्रियाओं पर वेब आधारित इनफॉरमेशन सिस्टम के विवरण और ट्रैंकिंग मैकेनिज्म देना चाहिए। इन प्रक्रियाओं और सेवाओं में नए/अस्थायी कनेक्शन देना या मौजूदा कनेक्शंस में बदलाव करना शामिल है। मेट्रो शहरों में नए कनेक्शन देने या मौजूदा कनेक्शंस में बदलाव की प्रक्रिया आवेदन करने के 7 दिनों, म्यूनिसिपल क्षेत्रों में 15 दिनों और ग्रामीण क्षेत्रों में 30 दिन में पूरी होनी चाहिए।
- **मीटरिंग**: राज्य बिजली रेगुलेटरी कमीशन (एसईआरसी) द्वारा किसी अन्य को मंजूरी देने के अतिरिक्त बाकी सभी स्थितियों में नए कनेक्शंस के साथ स्मार्ट प्री-पेमेंट मीटर या प्री-पेमेंट मीटर होने चाहिए। सभी खराब मीटर्स को वितरण लाइसेंसी द्वारा (i) शहरी क्षेत्रों में 24 घंटे के भीतर, और (ii) ग्रामीण क्षेत्रों में 72 घंटे के भीतर बदला जाएगा।
- **प्रोज्यूमर**: प्रोज्यूमर वे लोग होते हैं जोकि बिजली उत्पादन और उपभोग, दोनों करते हैं। प्रोज्यूमर्स के अधिकार भी आम उपभोक्ताओं जैसे होंगे। उन्हें अक्षय ऊर्जा उत्पादन इकाइयां लगाने की अनुमति भी होगी। प्रोज्यूमर्स की कुल उत्पादन क्षमता राज्य रेगुलेटरी कमीशन द्वारा निर्धारित सीमा से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- **प्रदर्शन मानकों का पालन न करने पर मुआवजा**: एसईआरसी वितरण लाइसेंसी के लिए प्रदर्शन मानक निर्धारित करेंगी, जैसे बिजली सप्लाई में बाधा की सीमा, शिकायतों के निवारण की समय सीमा और अन्य उपभोक्ता सेवाएं प्रदान करना। अगर लाइसेंसी इन मानकों का पालन नहीं करेगा तो उसे उपभोक्ताओं को मुआवजा देना होगा। एसईआरसी इस मुआवजा राशि को निर्दिष्ट करेगा और बिजली के बिल में समायोजन के जरिए उपभोक्ताओं को मुआवजा दिया जाएगा।

नवीन और अक्षय ऊर्जा

Aditya Kumar (aditya@prsindia.org)

पीएम-कुसुम योजना के कंपोनेंट-सी के अंतर्गत फीडर स्तर के सोलराइजेशन पर दिशानिर्देश जारी

नवीन और अक्षय ऊर्जा मंत्रालय ने प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान (पीएम-कुसुम) योजना के कंपोनेंट-सी के अंतर्गत फीडर स्तर के सोलराइजेशन (सौरीकरण) को लागू करने हेतु दिशानिर्देश जारी किए।[85] योजना के कंपोनेंट-सी का उद्देश्य 2022 तक 15 लाख ग्रिड-कनेक्टेड कृषि पंप का सोलराइजेशन करना है (इसमें 7.5 लाख पंप का फीडर स्तर का सोलराइजेशन भी शामिल है)।[86,87]

दिशानिर्देशों में फीडर स्तर के सोलराइजेशन के लिए सोलर पावर प्लांट्स को लगाने के दो तरीके निर्दिष्ट हैं: (i) पूंजीगत व्यय (कैपेक्स) मोड, और (ii) अक्षय ऊर्जा सेवा कंपनी (रेस्को) मोड। वितरण कंपनी (डिस्कॉम) वितरण के संबंधित क्षेत्रों में कार्यान्वयन एजेंसी होगी। एक निश्चित मात्रा (डिस्कॉम्स द्वारा निर्धारित) से कम उपभोग करने वाले किसानों को इनसेंटिव दिए जाएंगे।

कैपेक्स मोड के अंतर्गत कुल लागत का 30% केंद्र सरकार द्वारा केंद्रीय वित्त सहायता (सीएफए) के तौर पर प्रदान किया जाएगा। पूर्वोत्तर के राज्यों के लिए सीएफए 50% होगा। टेंडर प्रक्रिया

पूरी करने और चयनित इंजीनियरिंग, खरीद, और निर्माण (ईपीसी) ठेकेदार के साथ समझौते पर हस्ताक्षर करने पर कुल सीएफए राशि का 40% डिस्कॉम को प्रदान किया जाएगा।

रेस्को मोड के अंतर्गत सोलर प्लांट्स लगाने की अनुमानित लागत का 30% सीएफए के रूप में डेवलपर्स को प्रदान किया जाएगा। सफल कमीशनिंग और सोलर प्लांट के वाणिज्यिक संचालन की तिथि की घोषणा पर डिस्कॉम के माध्यम से सीएफए का वितरण किया जाएगा। सीएफए राशि के बराबर बैंक गारंटी, सीएफए जारी करने के लिए आवश्यक होगी।

सोलर प्लांट की प्रॉजेक्ट लाइफ 25 वर्ष की होगी। इस अवधि के भीतर प्लांट न चलने की स्थिति में डिस्कॉम को यथानुपात में सीएफए राशि वापस करनी पड़ सकती है।

सोलर पावर प्लांट्स की स्थापना में उपयोग किए जाने वाले सभी घटकों को भारतीय मानक ब्यूरो और मंत्रालय द्वारा जारी विनिर्देशों और दिशानिर्देशों के अनुरूप होना चाहिए। इसके अतिरिक्त दिशानिर्देशों में कहा गया है कि सोलर प्लांट्स को स्वदेशी सोलर पैनलों (स्वदेशी सोलर सेल्स और मॉड्यूल्स के साथ) का अनिवार्य रूप से उपयोग करना चाहिए।

अंतरिक्ष

Anurag Vaishnav (anurag@prsindia.org)

अंतरिक्ष विभाग ने टेक्नोलॉजी ट्रांसफर नीति और दिशानिर्देश जारी किए

अंतरिक्ष विभाग ने टेक्नोलॉजी ट्रांसफर नीति और दिशानिर्देश, 2020 जारी किए।[88] दिशानिर्देशों में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) द्वारा भारतीय उद्योगों के लिए विकसित टेक्नोलॉजीज़ के हस्तांतरण के सिद्धांतों और प्रणालियों का प्रावधान किया गया है।

इसरो उन टेक्नोलॉजीज़ को चिन्हित करने के लिए जिम्मेदार होगा जिन्हें ट्रांसफर करना है। अंतरिक्ष विभाग इसकी अप्रूवल बॉडी होगा। टेक्नोलॉजीज़ का ट्रांसफर न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड (एनएसआईएल) के जरिए किया जाएगा जोकि लाइसेंस फी और हस्तांतरण के दूसरे शुल्क तय करेगा।

इसरो के प्रत्येक केंद्र को उन टेक्नोलॉजीज़ को चिन्हित करना चाहिए जिनका ट्रांसफर किया जा सकता है और वे निम्नलिखित कारकों पर आधारित होगा: (i) टेक्नोलॉजी की तैयारी, (ii) टेक्नोलॉजीज़ का पुष्ट प्रयोग, (iii) प्राप्तकर्ता संगठन में सफलता की संभावना, और (iv) सामाजिक-आर्थिक या वाणिज्यिक व्यावहार्यता। एक टेक्नोलॉजी ट्रांसफर सेल अंतिम समन्वय के लिए जिम्मेदार होगा ताकि टेक्नोलॉजीज़ का सफल वाणिज्यिकीकरण सुनिश्चित हो।

इसके अतिरिक्त दिशानिर्देश कहते हैं कि टेक्नोलॉजी का ट्रांसफर किसी व्यक्ति को नहीं किया जाए। टेक्नोलॉजीज़ के ट्रांसफर की मांग करने वाले नॉन-प्रॉफिट या गैर सरकारी संगठन, जिनका सोसायटल एप्लीकेशन हो, से ट्रांसफर की लागत न ली जाए। सामान्यतया ट्रांसफर लागत में निम्नलिखित शामिल होंगे: (i) डायरेक्ट मैटीरियल या कंपोनेंट्स की लागत, (ii) डायरेक्ट स्टाफ की लागत, (iii) यात्रा और लॉजिस्टिक का व्यय, और (iv) बौद्धिक व्यय (नाममात्र, कुल अनुमानित लागत का अधिकतम 5%)।

[1] Ministry of Health and Family Welfare website, last accessed on March 31, 2020, https://www.mohfw.gov.in/index.html.

[2] Order No. 40-3/2020-DM-I(A), Ministry of Home Affairs, March 24, 2020, https://www.mha.gov.in/sites/default/files/MHAorder%20copy.pdf

[3] Order No. 40-3/2020-DM-I(A), Ministry of Home Affairs, December 28, 2020, https://www.mha.gov.in/sites/default/files/MHAOrderdt_281220.pdf.

[4] Order No. 40-3/2020-DM-I(A), Ministry of Home Affairs, November 25, 2020, https://www.mha.gov.in/sites/default/files/MHAOrder25112020.pdf.

[5] COVID-19 Vaccines: Operational Guidelines, Ministry of Health and Family Welfare, December 28, 2020, https://main.mohfw.gov.in/sites/default/files/COVID19VaccineOG111Chapter16.pdf.

[6] Genomic Surveillance for SARS-CoV-2 in India - Indian SARS-CoV-2 Genomics Consortium (INSACOG), Ministry of Health and Family Welfare, https://main.mohfw.gov.in/sites/default/files/IndianSARSCoV2PDFGenomicsConsortiumGuidanceDocument.pdf.

[7] Indian SARS-CoV-2 Genomics Consortium (INSACOG) Labs release initial results of Genome sequencing of mutant variant of SARS-CoV-2, Press Information Bureau, Ministry of Health and Family Welfare, December 29, 2020.

[8] Standard Operating Procedure for epidemiological surveillance and response in the context of new variant of SARS-CoV-2 virus detected in United Kingdom, Ministry of Health and Family Welfare, December 22, 2020, https://www.mohfw.gov.in/pdf/SOPforSurveillanceandresponseforthenewSARSCov2variant.pdf.

[9] Statement on Developmental and Regulatory Policies, Reserve Bank of India, December 4, 2020, https://rbidocs.rbi.org.in/rdocs/PressRelease/PDFs/PR72151BDEC79C76948C68A6DE914991CC848.PDF.

[10] "Reserve Bank announces On Tap Targeted Long-Term Repo Operations", Press Release, Reserve Bank of India, October 21, 2020, https://rbidocs.rbi.org.in/rdocs/PressRelease/PDFs/PR520A1E17F473D714F3DA7618DDF70E358D5.PDF.

[11] Report of the Expert Committee on Resolution Framework for COVID-related Stress, Reserve Bank of India, September 4, 2020, https://rbidocs.rbi.org.in/rdocs/PublicationReport/Pdfs/EXPERTCOMMITTEED58A96778C5E4799AE0E3FCC13DC67F2.PDF.

[12] "Reserve Bank announces constitution of an Expert Committee", Press Release, Reserve Bank of India, August 7, 2020, https://www.rbi.org.in/Scripts/BS_PressReleaseDisplay.aspx?prid=50182.

[13] "Declaration of dividends by banks", Notifications, Reserve Bank of India, April 17, 2020, https://www.rbi.org.in/Scripts/NotificationUser.aspx?Id=11869&Mode=0.

[14] Atmanirbhar Package 3.0, Ministry of Finance, November 12, 2020, https://static.pib.gov.in/WriteReadData/userfiles/MOF.pdf.

[15] "Cabinet approves Atmanirbhar Bharat Rojgar Yojana", Press Information Bureau, Ministry of Labour and Employment, December 9, 2020.

[16] "Report No. 229: Management of COVID-19 Pandemic and Related Issues", Standing Committee on Home Affairs, Rajya Sabha, December 21, 2020, https://rajyasabha.nic.in/rsnew/Committee_site/Committee_File/ReportFile/15/143/229_2020_12_18.pdf.

[17] S.O. 4638(E), Ministry of Corporate Affaits, December 22, 2020, http://egazette.nic.in/WriteReadData/2020/223855.pdf.

[18] S.O. 3265 (E), Ministry of Corporate Affairs, September 24, 2020, http://egazette.nic.in/WriteReadData/2020/221936.pdf.

[19] The Insolvency and Bankruptcy (Amendment) Ordinance, 2020, https://www.prsindia.org/sites/default/files/bill_files/IBC.pdf

[20] Order No. 11/2020, Ministry of Civil Aviation, December 3, 2020, https://www.civilaviation.gov.in/sites/default/files/DOC120320-12032020182905.pdf.

[21] Order No. 01/2020, Ministry of Civil Aviation, May 21, 2020, https://www.civilaviation.gov.in/sites/default/files/DOC0522 20-05222020133918.pdf.

[22] Circular No. 4/1/2020-IR: Temporary suspension of flights from United Kingdom to India - Reg, Director General of Civil Aviation, December 21, 2020, https://dgca.gov.in/digigov-portal/Upload?flag=iframeAttachView&attachId=150202802.

[23] Circular No 4/1/2020-IR, Office of the Director General of Civil Aviation, Government of India, December 30, 2020, https://twitter.com/DGCAIndia/status/1344212868892217344/photo/1.

[24] S.O. 4367 (E), Ministry of Environment, Forest and Climate Change, December 3, 2020, http://egazette.nic.in/WriteReadData/2020/223458.pdf.

[25] The Environment (Protection) Rules, 1986, Ministry of Environment and Forests, November 19, 1986, https://parivesh.nic.in/writereaddata/ENV/THE%20ENVIRONMENT.pdf.

[26] Circular No. AV/22025/25A/DMS/MED: Aeromedical Disposition of COVID-19, Director General of Civil Aviation, December 18, 2020, https://dgca.gov.in/digigov-portal/Upload?flag=iframeAttachView&attachId=150198436.

[27] "Standard Operating Procedure (SOP) & Guidelines for Organizing Sports Competitions in the Country in a COVID-19 Environment – Reg", Circular, Ministry of Youth Affairs and Sports, https://yas.nic.in/sites/default/files/SOP FOR Competition.pdf.pdf.

[28] Notification No. 47/2015-2020, Directorate General of Foreign Trade, Ministry of Commerce and Industry, December 22, 2020, https://content.dgft.gov.in/Website/dgftprod/90dab10a-08ad-41bf-9fde-e05d2b0e4354/Noti%2047%20Eng.pdf.

[29] Notification No. 44/2015-20, Directorate General of Foreign Trade, Ministry of Commerce and Industry, January 31, 2020, https://content.dgft.gov.in/Website/Noti%2044_0.pdf.

[30] Notification No. 21/2015-2020, Directorate General of Foreign Trade, Ministry of Commerce and Industry, July 28, 2020, https://content.dgft.gov.in/Website/dgftprod/e576fbb1-b0f9-4276-913e-cab13010b16b/Noti%2021%20Eng.pdf.

[31] Notification No. 42/2015-20, Directorate General of Foreign Trade, Ministry of Commerce and Industry, October 22, 2020, https://content.dgft.gov.in/Website/dgftprod/b1ffbbc7-9e04-4314-be2d-6e68972e28d2/Noti%2042%20Eng.pdf.

[32] "Developments in India's Balance of Payments during the Second Quarter (July-September) of 2020-21", Reserve Bank of India, December 30, 2020,

https://rbidocs.rbi.org.in/rdocs/PressRelease/PDFs/PR8531713946561684EB3A0153A39DB219C57.PDF.

[33] Monetary Policy Statement, 2020-21, Reserve Bank of India, December 4, 2020, https://rbidocs.rbi.org.in/rdocs/PressRelease/PDFs/PR720A9A40E7FC8884A6A9F158967DE9BFF20.PDF.

[34] Draft Reserve Bank of India (Market-makers in OTC Derivatives) Regulations, 2020, https://rbidocs.rbi.org.in/rdocs/Content/PDFs/DIRDMMD2BE6D408A4DE4B138FC1DDB2863D2E81.PDF.

[35] Section 45U, Reserve Bank of India Act, 1934.

[36] Comprehensive guidelines on derivatives, Reserve Bank of India, April 20, 2007, https://rbidocs.rbi.org.in/rdocs/content/PDFs/76927.pdf.

[37] "RBI releases Draft Reserve Bank of India (Market-makers in OTC Derivatives) Directions, 2020 under Section 45 W of the RBI Act, 1934", Press Release, Reserve Bank of India, December 4, 2020, https://www.rbi.org.in/Scripts/BS_PressReleaseDisplay.aspx?prid=50760.

[38] The International Financial Services Centre Authority (Bullion Exchanges) Regulations, 2020, https://ifsca.gov.in/Viewer/Index/127.

[39] Budget Speech, Union Budget 2020-21, https://www.indiabudget.gov.in/doc/Budget_Speech.pdf.

[40] "Introduction of Liquidity Adjustment Facility (LAF) and Marginal Standing Facility (MSF) for Regional Rural Banks (RRBs)", Reserve Bank of India, December 4, 2020, https://www.rbi.org.in/Scripts/NotificationUser.aspx?Id=12004&Mode=0.

[41] "Declaration of Dividend by NBFCs", Draft Circular, Reserve Bank of India, December 9, 2020, https://rbidocs.rbi.org.in/rdocs/Content/PDFs/DECLARATIONNBFCS2B8209A722B248CB9869F12BB33D1A3A.PDF

[42] "RBI decides to simplify and rationalise the process of registration of new NBFCs", Press Release, Reserve Bank of India, June 17, 2016, https://www.rbi.org.in/Scripts/BS_PressReleaseDisplay.aspx?prid=37253.

[43] "National Family Health Survey-5", Press Information Bureau, Ministry of Health and Family Welfare, December 15, 2020.

[44] Comprehensive estimates of disease burden attributable to air pollution and its economic impact in every state of India in 2019, Indian Council for Medical Research, December 22, 2020, https://main.icmr.nic.in/sites/default/files/press_realease_files/ICMR_Press_Release_Air_Pollution_22122020.pdf.

[45] "Downturn in automobile sector – its impact and measures for revival", 303rd Report, Standing Committee on Industry, December 15, 2020, https://rajyasabha.nic.in/rsnew/Committee_site/Committee_File/ReportFile/17/145/303_2020_12_14.pdf.

[46] Preparation for Olympic Games, 2021, Department related Parliamentary Standing Committee on Education, Women, Children Youth and Sports, December 24, 2020, https://rajyasabha.nic.in/rsnew/Committee_site/Committee_File/ReportFile/16/144/317_2020_12_13.pdf.

[47] The National Capital Territory of Delhi Laws (Special Provisions) Second (Amendment) Ordinance, 2020, Ministry of Law and Justice, December 30, 2020, http://www.egazette.nic.in/WriteReadData/2020/224015.pdf.

[48] The National Capital Territory of Delhi Laws (Special Provisions) Second Act, 2011, http://legislative.gov.in/sites/default/files/A2011-20_1.pdf.

[49] The National Capital Territory of Delhi (Recognition of Property Rights of Residents in Unauthorised Colonies) Regulations, 2019, Ministry of Housing and Urban Affairs, October 29, 2019, http://egazette.nic.in/WriteReadData/2019/213492.pdf.

[50] GSR 769(E), Gazette of India, Ministry of Housing and Urban Affairs, http://egazette.nic.in/WriteReadData/2020/223749.pdf.

[51] Metro Railways General Rules, 2013, Ministry of Urban Development, 2013, http://mohua.gov.in/upload/uploadfiles/files/MR_General_Rules_Public_Carriage_Passengers_Rules_2013.pdf.

[52] "Indian Railways issues draft National Rail Plan", Press Information Bureau, Ministry of Railways, December 18, 2020.

[53] "Draft Final Report on the National Rail Plan", Ministry of Railways, December 2020, http://indianrailways.gov.in/NRP-%20Draft%20Final%20Report%20with%20annexures.pdf.

[54] "Suggestions on the Draft National Rail Plan", MyGov Portal, as accessed on December 24, 2020, https://www.mygov.in/group-issue/suggestions-draft-national-rail-plan/.

[55] Draft Indian Ports Act, 2020, Ministry of Ports, Shipping and Waterways, http://shipmin.gov.in/sites/default/files/Draft%20Indian%20Ports%20Bill%202020.pdf.

[56] Indian Ports Act, 1908, Ministry of Shipping, http://legislative.gov.in/sites/default/files/A1908-15.pdf.

[57] Draft Indian Ports Bill, 2020 issued for Public Consultation, Ministry of Ports, Shipping and Waterways, Press Information Bureau, December 11, 2020.

[58] GSR 754(E), Gazette of India, Ministry of Road Transport and Highways, December 8, 2020, http://egazette.nic.in/WriteReadData/2020/223589.pdf.

[59] The Motor Vehicles (Amendment) Act, 2019, Gazette of India, Ministry of Law and Justice, August 9, 2019, https://www.prsindia.org/sites/default/files/bill_files/Motor%20Vehicles%20%28Amendment%29%20Act%2C%202019.pdf.

[60] GSR 797(E), Gazette of India, Ministry of Road Transport and Highways, December 28, 2020, http://egazette.nic.in/WriteReadData/2020/223970.pdf.

[61] Public comments invited for proposed mandatory provision of co-driver airbags, Ministry of Road Transport and Highways, Press Information Bureau, December 29, 2020.

[62] G.S.R 761 (E), Ministry of Civil Aviation, December 15, 2020, http://egazette.nic.in/WriteReadData/2020/223716.pdf

[63] The Aircraft (Investigation of Accidents & Incidents) Rules, 2017, Ministry of Civil Aviation, August 7, 2017, http://egazette.nic.in/WriteReadData/2017/178054.pdf.

[64] "Report by the Committee of Experts on Non-Personal Data Governance Framework", Ministry of Electronics and Information Technology, July 2020, https://static.mygov.in/rest/s3fs-public/mygov_159453381955063671.pdf.

[65] "Report by the Committee of Experts on Non-Personal Data Governance Framework", Ministry of Electronics and Information Technology, December 16, 2020, https://static.mygov.in/rest/s3fs-public/mygov_160922880751553221.pdf.

[66] National Strategy for Additive Manufacturing, Ministry of Electronics and Information Technology, December 9, 2020, https://www.meity.gov.in/content/national-strategy-additive-manufacturing.

[67] Wi-Fi Access Network Interface (WANI) and Framework and Guidelines for Registration, Department of Telecommunications, December 2020, https://dot.gov.in/sites/default/files/2020_12_11%20WANI%20Framework%20Guidelines.pdf?download=1.

[68] "Prime Minister's Wi-Fi Access Network Interface (PM-WANI) to proliferate broadband access through Public Wi-Fi Hotspots across the country", Press Information Bureau, Union Cabinet, December 9, 2020.

[69] "Cabinet approves Auction of spectrum", Press Information Bureau, Cabinet, December 16, 2020.

[70] "Cabinet approves Provision of Submarine Optical Fibre Cable Connectivity between Mainland (Kochi) and Lakshadweep Islands (KLI Project)", Press Information Bureau, Union Cabinet, December 9, 2020.

[71] "Cabinet approves Universal Service Obligation Fund Scheme for providing Mobile Coverage in Arunachal Pradesh and two Districts of Assam under the Comprehensive Telecom Development Plan for North Eastern Region", Press Information Bureau, Union Cabinet, December 9, 2020.

[72] "Cabinet approves Revision in guidelines for providing Direct to Home (DTH) Services in India", Press Information Bureau, Ministry of Information and Broadcasting, December 23, 2020.

[73] "Advisory on advertisements on online gaming, fantasy sports", Ministry of Information and Broadcasting, December 4, 2020, https://mib.gov.in/sites/default/files/Advisory.pdf.

[74] The Private Security Agencies Central Model Rules, 2020 http://www.egazette.nic.in/WriteReadData/2020/223767.pdf.

[75] National Fisheries Policy, 2020, Department of Fisheries, December 31, 2020, http://dof.gov.in/sites/default/files/2020-12/Policy_0.pdf.

[76] National Fisheries Policy, 2020, National Fisheries Development Board, Department of Fisheries, February 6, 2020, http://nfdb.gov.in/PDF/National_Fisheries_Policy_2020.pdf.

[77] "Cabinet approves assistance of about Rs. 3,500 crore for sugarcane farmers (Ganna Kisan)", Press Information Bureau, Department of Food and Public Distribution, December 16, 2020.

[78] "Cabinet approves modified scheme to enhance ethanol distillation capacity in the country", Press Information Bureau, The Ministry of Consumer Affairs, Food & Public Distribution, December 30, 2020.

[79] "Government intervenes to support sugar sector and sugarcane farmers by means of enhancement and augmentation of ethanol production capacity", Press Information Bureau, The Ministry of Consumer Affairs, Food & Public Distribution, March 7, 2019.

[80] Policy on School Bag 2020, Ministry of Education, December 2020, https://www.education.gov.in/sites/upload_files/mhrd/files/School_Bag_Policy_2020.pdf.

[81] National Education Policy 2020, Ministry of Education, https://www.education.gov.in/sites/upload_files/mhrd/files/NEP_Final_English_0.pdf.

[82] Government constitutes High-level Ministerial Committee for implementation of Paris Agreement, Press Information Bureau, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, December 2, 2020.

[83] Union Government for the first time lays down Rights to the Electricity Consumers through "Electricity (Rights of Consumers) Rules, 2020", Press Information Bureau, Ministry of Power, December 21, 2020.

[84] The Electricity (Rights of Consumers) Rules, 2020, Ministry of Power, https://static.pib.gov.in/WriteReadData/userfiles/final%20-%20Copy%202.pdf.

[85] Office Memorandum: Guidelines for Implementation of Feeder Level Solarisation under Component - C of PM-KUSUM Scheme, Ministry of New and Renewable Energy, December 4, 2020, https://mnre.gov.in/img/documents/uploads/file_f-1607073371212.pdf.

[86] Pradhan Mantri Urja Suraksha evam Utthaan Mahaabhiyaan (PM-KUSUM), Ministry of New and Renewable Energy, https://mnre.gov.in/solar/schemes/.

[87] Order No. 32/645/2017-SPV Division – "Scale-up and expansion of Pradhan Mantri Urja Suraksha evam Utthaan Mahaabhiyaan (PM-KUSUM), Ministry of New and Renewable Energy, November 4, 2020, https://mnre.gov.in/img/documents/uploads/file_f1604916951612.pdf.

[88] "Revised Technology Transfer Policy and Guidelines 2020", Department of Space, December 2, 2020, https://www.isro.gov.in/sites/default/files/tt_approved_policy_2020-with_cover_for_public_feedback_1.pdf.

अस्वीकरणः प्रस्तुत रिपोर्ट आपके समक्ष सूचना प्रदान करने के लिए प्रस्तुत की गई है। पीआरएस लेजिसलेटिव रिसर्च (पीआरएस) के नाम उल्लेख के साथ इस रिपोर्ट का पूर्ण रूपेण या आंशिक रूप से गैर व्यावसायिक उद्देश्य के लिए पुनःप्रयोग या पुनर्वितरण किया जा सकता है। रिपोर्ट में प्रस्तुत विचार के लिए अंततः लेखक या लेखिका उत्तरदायी हैं। यद्यपि पीआरएस विश्वसनीय और व्यापक सूचना का प्रयोग करने का हर संभव प्रयास करता है किंतु पीआरएस दावा नहीं करता कि प्रस्तुत रिपोर्ट की सामग्री सही या पूर्ण है। पीआरएस एक स्वतंत्र, अलाभकारी समूह है। रिपोर्ट को इसे प्राप्त करने वाले व्यक्तियों के उद्देश्यों अथवा विचारों से निरपेक्ष होकर तैयार किया गया है। यह सारांश मूल रूप से अंग्रेजी में तैयार किया गया था। हिंदी रूपांतरण में किसी भी प्रकार की अस्पष्टता की स्थिति में अंग्रेजी के मूल सारांश से इसकी पुष्टि की जा सकती है।